शुक्रवार,
२१ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लंका की नागरिकता के लिए पंजीबद्ध भारतीय

*५३१. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास लंका स्थित ऐसे भारतीयों की संख्या के बारे में कोई सूचना है, जो लंका की नागरिकता प्राप्त करना चाहते थे, और जिन्होंने आवेदनों के लिये निश्चित की गई अन्तिम तिथि ५ अगस्त, १९५१ से पहले अपने आवेदन भेज दिये थे ?

(ख) लंका के नागरिकों के रूप में यथार्थतः पंजीबद्ध लोगों की संख्या क्या थी ?

(ग) शेष आवेदकों की स्थिति क्या है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) २,३७,०३४ आवेदन भेजे गये थे। मध्यमानतः प्रति आवेदन से $3\frac{1}{2}$ व्यक्ति संबंधित (आवेदक के स्त्री-बच्चों समेत) थे ।

(ख) ५५५८ ।

(ग) अधिकांश मामलों में आवेदन अभी लंबमान पड़े हुए हैं। जैसा ५ नवम्बर, १९५२ को बताया जा चुका है, समाचार है कि लंका सरकार अपना कर्मचारी वर्ग बढ़ा रही है, यह हो जाने पर मामलों को निःसंदेह शीघ्रता-पूर्वक निपटाया जा सकेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : परीक्षित तथा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या का कोई अन्दाज है ?

श्री अनिल के० चन्दा : ३० सितम्बर तक, १२,२०१ स्वीकृत हो चुके हैं। शेष अभी विचाराधीन हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उनकी अस्वीकृति के कारण सरकार को विदित हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री ने अस्वीकृतियों का निर्देश किया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : नहीं श्रीमान्, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन को कोई जानकारी नहीं कि कितने अस्वीकृत हो चुके हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या निश्चित अवधि तक आवेदन न भेज सकने वाले लोगों ने लंका सरकार से तिथि बढ़ाने के लिये अनुरोध किया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : निश्चित तिथि से पूर्व ही लंका की नागरिकता के लिये आवेदन कर चुकने वाले भारतीयों के ऊपर लंका-नागरिकता-अधिनियम के संशोधन का क्या प्रभाव पड़ता है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इसी विषय पर मैंने अभी उस दिन सदन में एक वक्तव्य दिया था ।

श्री दामोदर मेनन : क्या लंका के प्रधान मंत्री और भारत के प्रधान मंत्री के परस्पर मिल कर इस समस्या पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं श्रीमान्, वैसा कोई सुनिश्चित प्रस्ताव नहीं है। और लंका के प्रधान मंत्री इस समय इंग्लैंड की यात्रा को गए हुए हैं।

श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या वित्त मंत्री से, जो राष्ट्र-मंडल सम्मेलन में भाग लेने के लिये लंदन जा रहे हैं, लंका के प्रधान मंत्री के साथ लंका में अभी पारित हुए संशोधन अधिनियम के विषय में बातचीत करने के लिये कहा जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं श्रीमान्, यह वित्त मंत्री के वहां के कार्य-क्षेत्र से बाहर की बात है।

धुनने की मशीनें

*५३२. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत की धुनने की मशीनों सम्बन्धी वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

(ख) १९५१-५२ में स्थानीय उत्पादन द्वारा इस के कितने भाग की पूर्ति की गई थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत की धुनाई के इंजनों संबंधी कुल आवश्यकता अनुमानतः प्रतिवर्ष ७०० और ८०० के बीच है।

(ख) धुनने के इंजनों का स्थानीय उत्पादन १ अप्रैल १९५१ से ले कर जब कि एक फैक्टरी में उत्पादन वस्तुतः शुरू हुआ था, अगस्त १९५२ के अन्त तक २४३ रहा है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कोयमबटूर में एक दूसरी फैक्टरी भी है, जो धुनाई की मशीनें बनाया करती है, पर निकास बहुत कम है। वे सामान्यतः आर्डर मिलने पर बनाते हैं, और शायद दो महीनों में एक बना पाते हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या आज तक अधिष्ठापित उत्पादन-क्षमता, यदि पूरा पूरा उत्पादन होने लगे तो हमारी आवश्यकता के लिये पर्याप्त है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह अंदाज लगाना बहुत कठिन है। आखिर, धुनाई के इंजनों की रोज़ तो ज़रूरत पड़ती नहीं। संभव है, कुछ मिलों ने युद्ध के बाद नई धुनाई-मशीनें लगा ली हों। बहुत संभव है कि वे सहसा प्रयोग से उठ जायें और हमें एकदम दो तीन हज़ार की ज़रूरत पड़ जाये।

इस समय इस बड़े संयंत्र की उत्पादन-क्षमता, यदि वे एक पाली काम करें तो, प्रति वर्ष लग भग ३१० है। मुझे पता चला है कि उन के लिए दो पाली काम करना भी पूर्णतः संभव है। यदि मांग बढ़ जाये तो संभवतः वे उत्पादन बढ़ा सकेंगे।

सरदार हुक्म सिंह : क्या अब तक इन फैक्टरियों में बने धुनाई के इंजनों के सम्बन्ध में वस्त्र मिलों द्वारा यह जानने के लिये जांच की गई है कि व उचित स्तर के हैं, या नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी सूचना यह है कि प्रकार काफी अच्छा है।

श्री एन० श्रीकान्त नायर : क्या सरकार को विदित है कि वस्त्र-इंजीनियरी की नई अमरीकी तकनीक में ब्लोरूम से ले कर कताई तक एक ही प्रक्रिया है, और यदि हम इन धुनाई-मशीनों को बड़े पैमाने पर बनाने लगें, तो वे पुरानी पड़ जायेंगी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं आधुनिक आविष्कारों के यथासंभव सम्पर्क में रहने का यत्न करता हूं, पर मेरा ज्ञान उतना नहीं है, जितना प्रत्यक्षतः मेरे माननीय मित्र का है।

शोल शिविर में विस्थापित व्यक्ति

*५३३. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि योल शिविर के किसी निवासी को अब भी निःशुल्क सहायता प्राप्त हो रही है ?

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है ?

(ग) इन लोगों के कहां बसाये जाने की संभावना है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां ।

(ख) ६४४५ ।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या योल शिविर के सभी निवासी काश्मीर के शत्रु-अधिकृत राज्य क्षेत्र से आये थे या उन क्षेत्रों से, जो जम्मू तथा काश्मीर सरकार के अधिकार में हैं ?

श्री ए० पी० जैन : हां, एक समय रोल शिविर में ८००-९०० व्यक्ति जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा शासित राज्य क्षेत्र के थे ; शेष शत्रु अधिकृत क्षेत्र के थे । पर अब जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा शासित राज्य क्षेत्र के सभी लोगों को वापस भेज दिया गया है ?

सरदार हुक्म सिंह : शारीरिक असामर्थ्य या बुढ़ापे से पीड़ित उन असंबद्ध स्त्रियों-बच्चों की संख्या क्या है, जिन की देखभाल की जा रही है ?

श्री ए० पी० जैन : शारीरिक असामर्थ्य या बुढ़ापे से पीड़ित असंबद्ध स्त्रियों, बच्चों और व्यक्तियों की संख्या २००० है ।

सरदार हुक्म सिंह : उन की देख भाल कैसे होती है ?

श्री ए० पी० जैन : उन को सामान्य पैमाने पर दान-वितरण किया जाता है और कुछ दूसरी सुविधायें दी जाती हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या किन्हीं संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि उन को इस शिविर से कुछ अनाथ व्यक्ति दे दिये जायें और उन्हों ने उन का पालन पोषण करने का वचन दिया है, और यदि यह अनुरोध किया गया है, तो क्या उन को माना गया है ?

श्री ए० पी० जैन : सब प्रकार के अनुरोध मिलते हैं और उन को यदि उचित समझा जाता है तो मान लिया जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि मुजफ्फराबाद के शरणार्थियों का जम्मू में बसाया जाना अस्वीकार कर दिया गया है और उस क्षेत्र में पाकिस्तान चले गये मुसलमानों के वापस आने के लिये ज़मीनें अब भी संरक्षित हैं ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, प्रश्न का संबंध योल शिविर से है, शिविर के बाहर वाले मुजफ्फराबाद के शरणार्थियों से नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या योल शिविर में ही मुजफ्फराबाद का कोई शरणार्थी नहीं है ?

श्री ए० पी० जैन : संभव है, मुझे पता नहीं ।

कोयला यातायात के लिए डब्बे

***५३४. डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि कोयले के यातायात के लिये माल के डब्बों के संभरण में कमी होने के कारण कोयले के कुछ जहाज़ों को कलकत्ते में रुकना पड़ गया है ?

(ख) यदि सच है तो आवश्यक डब्बों के संभरण के विषय में सरकार कुछ पग उठाना चाहती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) हां । पिछले तीन चार महीनों में डब्बों की सार्वत्रिक कमी से डाकों में डब्बों के अपर्याप्त नियतन के कारण और बर्थों की अ पर्याप्त

सुविधाओं के कारण कलकत्ते के बंदरगाह पर कोयले के जहाज़ों को रुकना पड़ा है ।

(ख) जहाज़ों की भीड़ को कम करने के लिये आवश्यक पग उठाये गये हैं । कोयला-आयुक्त द्वारा डाकों के लिये डब्बों का संभरण बढ़ा दिया गया है, और पोत-आयुक्तों द्वारा कोयला उतारने के लिये अस्थायी रूप से एक अतिरिक्त बर्थ दे दी गई है । साथ ही सितम्बर और अक्टूबर में कुछ जहाज़ों को बीच धार में ही माल उतारने की अनुमति दे दी गई थी । आशा है, दिसम्बर तक भीड़ भाड़ छंट जायेगी और सामान्य स्थिति आ जायेगी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं कोयला क्षेत्रों से कलकत्ता बन्दरगाह तक निर्यात के प्रयोजन से प्रति दिन कोयला ले जाने के लिये नियत किये गये डब्बों की संख्या जान सकता हूं ।

श्री के० सी० रेड्डी : मेरी जानकारी के अनुसार यह सामान्यतः लगभग ४८० डब्बे प्रति दिन हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : आंतरिक खपत के लिये कोयला ले जाने के लिये नियत किये गये डब्बों की संख्या क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : उस के लिये मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

श्री ए० सी० गुहा : कलकत्ता डाक तक कोयला ले जाने के लिये नियत किये गये डब्बों की संख्या गत वर्ष क्या थी, और इस वर्ष के लिये नियत किये गये डब्बों की तुलना में वह कैसी है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस वर्ष के ६ सप्ताहों को छोड़ कर जब पश्चिमी बंगाल में कोयले के अपर्याप्त संभरण के कारण कलकत्ता बन्दरगाह को डब्बों का संभरण ४८० से घटाकर २६० कर दिया गया था, शेष बातों में वह तुलना इस वर्ष पक्ष में ही है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि अनुभूत होने वाली यह कठिनाई पूर्व रेलवे के नये पुनर्वर्गीकरण के कारण नहीं है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरे ज्ञान में नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या आंतरिक खपत के लिये कोयले के यातायात के लिये भी डब्बों की कमी दिसंबर तक समाप्त हो जायेगी ।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं यह नहीं कह सकता । मेरे विचार से रेलवे के कार्यक्रम के अनुसार डब्बों की उपलब्धता सम्बन्धी कमी तीन चार वर्ष में धीरे धीरे दूर होगी ।

श्री सारंगधर दास : जब डब्बों की कमी के कारण जहाज़ों को रोका जाता है, तो क्या कुछ विलंब-शुल्क (डैमरेज) चुकाया जाता है; यदि चुकाया जाता है, तो कौन चुकाता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार किसी प्रकार नहीं, मेरे विचार से स्वयं जहाजी कम्पनियां ही चुकाती हैं—पर यह वक्तव्य सुधारा जा सकता है ।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि अपनी पिछली यात्रा में माननीय मंत्री ने झरिया कोयला-क्षेत्र के कोयला-स्वामियों को यह आश्वासन दिया था कि वह इस मामले को कैबिनेट तक ले जायेंगे और डब्बों की इस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, क्या माननीय सदस्य जहाजों पर लादन् उतारने के लिये डब्बों की कमी का निर्देश कर रहे हैं या डब्बों के साधारण प्रश्न का ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचारसे साधारण प्रश्न का ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि डब्बों के संभरण में कठिनाई के कारण

संबंधित दलों द्वारा उठाई गई कुल हानि के कोई आंकड़े सरकार के पास हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, मैं जानना चाहूंगा कि पहले वाला प्रश्न क्या था ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

सिंदरी में न्यंगार कंदु संयंत्र (कोक ओवेन प्लांट)

***५३५. डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सिंदरी कृषिसार फैक्टरी में एक न्यंगार कंदु संयंत्र लगाना चाहती है ?

(ख) यदि लगाना चाहती है, तो उस संयंत्र की प्राक्कलित लागत क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) भारत सरकार को एक निजी लिमिटेड कंपनी 'सिंदरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल लिमिटेड' द्वारा एक न्यंगार कंदु संयंत्र लगाया जा रहा है ।

(ख) २३५ लाख रुपये ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इस संयंत्र के अधिष्ठापन का ठेका किसी फर्म को दिया गया है और यदि हां, तो कितने समय में इस के पूरे होने की आशा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : हां, श्रीमान् । ठेका जर्मनी की एक फर्म को दिया गया है । मेरे विचार से इस के २२ महीनों में पूरे होने की आशा है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं उस संयंत्र की प्राक्कलित उत्पादन क्षमता जान सकता हूं ?

श्री के० सी० रेड्डी मेरे विचार से ६०० टन प्रति दिन ।

डा० राम सुभग सिंह : सिंदरी फर्टिलाइज़र फैक्टरी की दैनिक आवश्यकता क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : अंदाज यह है कि न्यंगार कंदु संयंत्र का उत्पादन फर्टिलाइज़र फैक्टरी की आवश्यकता के लिये पर्याप्त होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह आज कल वाले से सस्ता होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : निश्चय ही इस में बचत होगी ।

श्री मेघनाद साहा : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्टरी का ही भाग होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : हां, श्रीमान् ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि न्यंगार के उत्पादन के बाद सरकार उपोत्पादों को किस प्रकार प्रयुक्त करना चाहती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : क्या क्य उपोत्पाद ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं जानना चाहता हूं कि उपोत्पादों को कैसे प्रयुक्त किया जायेगा । क्या गैस न बनेगी ? इसे कैसे प्रयुक्त किया जायेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस का एक अंश प्रयुक्त किया जायेगा, पर मैं ठीक ठीक कह नहीं सकता कि कैसे किया जायेगा ।

पाकिस्तान का निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति अधिनियम

***५३६. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को सुझाया है कि पारस्परिक आधार पर वह निष्क्रमणार्थी संपत्ति अधिनियम में से 'इच्छुक निष्क्रमणार्थी' खंड निकाल दे; तथा

(ख) यदि सच है तो पाकिस्तान सरकार ने इस विषय में क्या पग उठाये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या मैं ऐसे व्यक्तियों की संख्या जान सकता हूं, जिन को अब तक इच्छुक निष्क्रमणार्थी घोषित किया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं याद से बता रहा हूं। मेरे विचार से १५००-१५५० के लगभग व्यक्तियों को इच्छुक निष्क्रमणार्थी घोषित किया गया है, लगभग ७८२ मामले अभी विचाराधीन हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : उन की संपत्ति का लग भग मूल्य क्या होगा ? उन में से कितने वस्तुतः चले गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : उन में से एक भी नहीं गया है, क्योंकि वस्तुतः चले जाने पर तो एक व्यक्ति निष्क्रमणार्थी बन जाता है । जहां तक उन की संपत्ति के मूल्य का सम्बन्ध है, हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं और न हमारा इस से सम्बन्ध है क्योंकि हम उन की संपत्तियों पर अधिकार नहीं करते, पर इच्छुक निष्क्रमणार्थियों की संपत्ति के प्रबंध पर विधि के अधीन कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान आज के समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस वृतान्त की ओर आकर्षित किया गया है कि पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्री डा० कुरेशी ने यह प्रस्ताव किया है कि यदि भारत सरकार भी वैसा करे, तो वह पाकिस्तान निष्क्रमणार्थी संपत्ति अधिनियम को समाप्त करने के लिये उद्यत हैं और पाकिस्तान के इस प्रस्ताव के विषय में भारत सरकार का क्या विचार है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं ने वृतान्त पढ़ा है, पर मैं प्रेस में छपने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं करता ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यदि यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से आये, तो हम इस पर विचार करने के लिए पूर्णतः उद्यत हैं, क्योंकि प्रेस के द्वारा आने पर यह प्रस्ताव कोई प्रस्ताव नहीं है । यदि गंभीरतापूर्वक यह अभिप्रेत हो, तो हम इन बातों पर विचार करने के लिये पूर्णतः तैयार हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : यह प्रस्ताव इसलिये किया जा रहा है कि वहां कोई हिन्दू रहा ही नहीं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : : बात ऐसी ही है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : कुछ समय पहले कुछ आंकड़े छपे थे और उन से पता चला था कि पाकिस्तान से आसाम आने वालों की संख्या बढ़ रही है । इस बात की दृष्टि में मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान से इच्छुक निष्क्रमणार्थियों की संख्या क्या है ?

श्री ए० पी० जैन : आसाम समेत पूर्व पर यह लागू नहीं होता ।

औद्योगिक गृह निर्माण योजना

*५३७. **श्री ए० एम० टामस** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अधीन विविध राज्यों को द्रव्य का नियतन हो चुका है और यदि हो चुका है तो कैसे ?

(ख) अगस्त, १९५२ में हुए गृह व्यवस्था-सम्मेलन में यदि कुछ निर्णय हुए हैं, तो क्या हैं ?

(ग) क्या उन को कार्यान्वित किया गया है ?

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह : (क) राज्य सरकारों से योजनाओं के प्राप्त होने पर उन का परीक्षण किया जाता है, और विविध राज्यों के औद्योगिक श्रम की आवश्यकताओं और कुल उपलब्ध उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए समुचित आवंटन कर दिये जाते हैं। हाल में सौराष्ट्र सरकार को १८,७५,००० रुपये का आवंटन किया गया है, जिस में ५० प्रतिशत अर्थ-सहायता के रूप में है और ५० प्रतिशत ऋण के रूप में। वैसा ही यू० पी० के लिये ७५ लाख का और मध्य भारत के लिए २५ लाख रुपयों का आवंटन शीघ्र ही होने वाला है।

(ख) और (ग)। सम्मेलन के सभी निष्कर्षों को सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना में रख लिया गया है। एक अन्तर यही रहा है कि बहुमंजले एक कमरे वाले निवासों की लागत, जहां ज़मीन की ऊंची कीमत के कारण आवश्यक हो, ४,००० रुपये से बढ़ा कर ४,५०० रुपये कर दी गई है, ५,००० रुपये नहीं जैसा सम्मेलन द्वारा सुझाया गया था।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि विविध आय वाले वर्गों के लिये कितने प्रकार के मकान बनेंगे और इस योजना के अधीन बनने वाले मकानों की लागत या उस के आदर्श आदि के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई निदेश दिये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे भय है कि प्रश्न बहुत कुछ ग्रस्त है, पर यदि मैं ने माननीय सदस्य की बात ठीक समझी है, तो इस के दो भाग हैं। पहला तो यह कि क्या हम ने कोई निश्चित आदर्श रखा है। श्रीमान्, उस सम्बन्ध में हम ने आराम के कुछ न्यूनतम स्तर पर जोर दिया है और स्थानीय दशा के उपयुक्त अदल बदल करने की अनुमति दी है। विविध आय वर्गों वाले प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, यह योजना औद्योगिक गृह निर्माण तक ही सीमित है।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि संबंधित राज्यों को किन शर्तों पर भुगतान किया जायगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : निर्माण में हुई प्रगति के अनुसार भुगतान होगा।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्र द्वारा किस प्रकार का नियंत्रण रखा जायेगा ? क्या कोई ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि केन्द्र द्वारा रखे गये आदर्श के अनुसार ही निर्माण हो ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नियंत्रण और उस का स्वरूप योजना में स्पष्ट बताया गया है, जिस की एक प्रति सदन पटल पर रखी जा चुकी है। उन के निर्माण के बारे में केन्द्र जरा जरा सी बात पर नियंत्रण नहीं रखना चाहता, बल्कि विविध राज्यों द्वारा काम में लगाई गई निर्माण की एजेंसी पर निर्भर रहेगा।

श्री सिंहासन सिंह : यह एजेंसी क्या होगी—संघ या संबन्धित राज्य के लोक-निर्माण विभाग या उन को सरकार द्वारा रखे गये आदर्श पर अपनी इमारतें बनाने दी जायेंगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जहां तक औद्योगिक उपक्रमों का सम्बन्ध है, उन को राज्य के लोक-निर्माण विभाग की निर्माण एजेंसी का उपयोग करने के लिये विवश नहीं किया जायेगा। वस्तुतः विविध औद्योगिक उपक्रमों की ओर से राज्य सरकारों या लोक निर्माण विभाग द्वारा यह निर्माण-कार्य हाथ में लिया जाना संभव न होगा। यह उन के ही लिये है कि वे स्थानीय दशाओं या अपने निजी नियमों के अनुसार या लोक निर्माण विभाग से काम करायें या दूसरा कोई तरीका अपनायें।

श्री के० पी० त्रिपाठी : गत वर्ष जब ऐसी एक योजना बनी थी, तो चाय उद्योग ने कोई

आवेदन नहीं किया था। मैं जान सकता हूं कि क्या इस वर्ष चाय उद्योग द्वारा कोई आवेदन दिया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे पता नहीं कि गत वर्ष कोई योजना बनी थी। जहां तक मुझे ज्ञात है, यह योजना पहली ही बार शुरू की गई है। अतः ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता। किसी चाय उपक्रम द्वारा कोई आवेदन किया गया या नहीं, यह भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वह इस प्रश्न से उठता ही नहीं।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने कहा था कि कुछ राज्यों को कुछ आवंटन किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं। मैं जान सकता हूं कि क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य को कोई आवंटन किये गये हैं या उस राज्य से कोई आवेदन आया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, मुझे माननीय सदस्य से कहना है कि त्रावनकोर-कोचीन सरकार से कोई आवेदन नहीं मिला। पर केन्द्र का एक मंत्री वस्तुतः वहां दौरे पर गया था और त्रावनकोर-कोचीन सरकार से उस ने बात की थी कि क्या उस के पास कोई योजना है ? हम ने उन के पास एक पत्र भी भेजा है कि यदि उन्हें कोई रुचि हो तो वे भी अपनी कुछ योजना भेज दें।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लें।

रबर के दाम

*५३८. **श्री सी० आर० इय्युन्नी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दुनिया के बाजार में आजकल रबर का क्या दाम चल रहा है ?

(ख) भारत में आजकल रबर के दाम क्या हैं ?

(ग) रबर के सामानों (१) साइकिल टायरों, (२) मोटर टायरों और (३) अन्य सामानों, के निर्माण के लिये भारत में प्रयुक्त होने वाली रबर की मात्रा क्या है ?

(घ) क्या इन सामानों के दाम नियंत्रित रखे जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७**]

(घ) नहीं श्रीमान्।

श्री सी० आर० इय्युन्नी : मैं जान सकता हूं कि दुनिया की रबर के बाजार-भाव के विषय में सिंगापुर के दाम ही निश्चायक तत्व होते हैं ?

श्री करमरकर : भारत के बाहर इसे एक ज्ञापक दाम माना जाता है।

श्री सी० आर० इय्युन्नी : अन्य तत्व क्या हैं ?

श्री करमरकर : मैं ने तत्व नहीं कहा, मैं ने कहा कि यह भारत के बाहर एक ज्ञापक दाम है।

श्री सी० आर० इय्युन्नी : अन्य दाम क्या हैं ?

श्री करमरकर : विभिन्न व्यापारिक केन्द्रों में विद्यमान अन्य विश्वजनीन दाम।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में रबर को उत्पादन की लागत के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई आंकड़े हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : तटकर आयोग द्वारा इस विषय की पड़ताल की गई थी और उन की सिफारिश पर प्रति १०० पौंड के दाम १३८ रुपये निश्चित कर दिये गये हैं। माननीय सदस्यों के निकट यह बिल्कुल स्पष्ट होगा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये तटकर पर्षद् के पास पर्याप्त आंकड़े रहे होंगे।

श्री सी० आर० इय्युन्नी : क्या मैं जान सकता हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पास गत वर्ष, जब बाजार-भाव ३०० रुपये प्रति १०० पौंड था, यह अभ्यावेदन भेजा गया था कि रु० १२२-८-० के दाम को कुछ और बढ़ा दिया जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : संबंधित उपक्रमों द्वारा समय-समय पर ये सब अभ्यावेदन किये जाते हैं। प्रत्येक अभ्यावेदन आने पर समर्थ प्राधिकारी के पास उस का अभिमत जानने के लिये उस का निर्देश कर दिया जाता है। पिछली बार तटकर पर्षद् ने इस विषय की जांच की और एक दाम निश्चित कर दिया। फिर अभ्यावेदन आने पर सरकार ने इस विषय का फिर तट-कर-पर्षद् को निर्देश किया और वर्तमान दाम उन की जांच का ही परिणाम है।

श्री वलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि रबर के विश्वजनीन बाजार-भाव और भारत सरकार द्वारा हाल ही में निश्चित किये गये भाव में क्या अंतर है ?

श्री करमरकर : अंतर विवरण में दिया गया है। ७ नवंबर, १९५२ को आर० एम० ए० रबर का विश्वजनीन दाम सिंगापुर बंदरगाह पर प्रति १०० पौंड रु० १२३-५-० था। भारतीय आर० एम० ए० १ रबर का दाम कोचीन बन्दरगाह पर १३८ रुपये प्रति पौंड है।

श्री ए० वी० टामस : क्या यह सच नहीं है कि तटकर पर्षद् द्वारा अनुमोदित दाम उत्पादक लोग तीन वर्ष से मानते चले आये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बात यही है, मेरी सूचना यही है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

दक्षिण भारत का उद्योगीकरण

*५३९. **श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी**: (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दक्षिण भारत के औद्योगीकरण के लिए एक योजना बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि है, तो इस योजना में कौन कौन से उद्योगों को लेने का विचार है ;

(ग) इस योजना में अंतर्ग्रस्त लागत का कुल प्राक्कलन क्या होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) (क) तथा (ख). दक्षिण भारत के उद्योगीकरण के लिये कोई पृथक योजना नहीं है : पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में योजना आयोग ने ४० उद्योगों के विकास-कार्यक्रम का अध्ययन किया है। मद्रास, मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन और हैदराबाद राज्यों में भविष्य में संभावित विकास वाले अपेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों का एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७**] : मंत्रालय का विकास विभाग शुरू होने वाले उद्योगों की रूपरेखा तैयार करने मे लगा हुआ है। इन में से कुछ योजनायें दक्षिण भारत और ऐसे अन्य क्षेत्रों में काम आयेंगी, जो औद्योगिक रूप से विकसित नहीं हैं।

(ग) कुल लागत का इस समय आकलन करना संभव नहीं है।

श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि नये उद्योगों को शुरू करने की दृष्टि से क्या दक्षिण भारत के पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिये कोई परिमाप किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न उद्योग अनियमन तथा विकास अधिनियम के

अधीन परामर्शदात्री परिषद् द्वारा निपटाया जाना है । वस्तुतः परिषद् की पिछली बैठक में एक सदस्य प्रो० वकील ने उद्योगों की स्थिति के विषय में एक पत्र प्रेषित किया था । परिषद् ने सोचा कि वे इस विषय पर और विचार करें। प्रत्यक्षतः जब वैसा एक प्रश्न उद्योग-परामर्श-दात्री परिषद् जैसी उत्तरदायी संस्था द्वारा लिया जाता है, तो दक्षिण भारत जैसे औद्योगिक रूप में पिछड़े क्षत्रों की आवश्यकताओं को भी सम्यकतया निपटाया ही जाएगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : दक्षिण भारत में उद्योगीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना के अधीन अब तक व्यय की गई कुल राशि क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य को शायद यह विदित नहीं है कि पंच-वर्षीय योजना ने निजी उद्योगों के भाग को बहुत कुछ निजी उपक्रमों के ही हाथ में छोड़ दिया है । मुझे भय है कि मैं सहसा बता न पाऊंगा कि भारत के मेरे माननीय मित्र द्वारा निर्दिष्ट भाग में निजी उपक्रमों या उद्योगों द्वारा इस से फायदा उठाया गया है या नहीं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि दक्षिण भारत के अन्दर कौन-कौन भाग आते हैं ?

एक माननीय सदस्य : उन्होंने ही तो प्रश्न रखा है ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि अभ्रक उद्योग के लिए कोई रूपरेखा बनाई गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अभी तो मुझे यही कहना चाहिये कि मुझे ऐसी किसी रूप-रेखा का पता नहीं है ।

श्री मेघनाद साहा : दक्षिण भारत की रिभाषा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री एन० श्रीकान्त नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना बनाई गई है जिस से अल्लेप्पी के आस-पास का तटीय-क्षेत्र जो बहुत समय से अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग-केन्द्र था और जिसका महत्व कुछ समय से जटा-उद्योग के समाप्त हो जाने से कम हो गया है.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना प्रश्न रखें, अल्लेप्पी क्यों चुना जाए इसके लिए तर्क न करें । यदि वह तर्क करेंगे, तो मैं प्रश्न को अनुमित न ठहराऊंगा । प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिए ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या अल्लेप्पी के आस-पास के क्षेत्र के उद्योगीकरण के लिए कोई योजना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य को विदित है कि उनके द्वारा बताए गए क्षेत्र में प्रमुख उद्योग जटा-उद्योग, चटाइयां आदि हैं । योजना आयोग ने आधी लागत त्रावणकोर-कोचीन सरकार द्वारा सही जाए इस आधार पर अगले पांच वर्षों में उस उद्योग के विकास के लिये ६० लाख से कुछ अधिक रुपये की निश्चित राशि नियत की है । मेरे विचार से योजना-आयोग के उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये प्रबन्ध होने लगे हैं ।

बर्मा में भारतीय

*५४०. **श्री पी० टी० चाको** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४९ से अब तक आक्रमणकारियों की कार्यवाहियों द्वारा निराश्रित बनाए गए भारतीयों की संख्या; तथा

(ख) १९४९ से अब तक बर्मा द्वारा भारत वापस भेजे गए भारतीयों की संख्या ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख)। जनवरी, १९४९

से ३०-९-१९५२ तक बर्मा से भारत वापस भेजे गये कुल निराश्रित भारतीयों की संख्या १३,९७८ है। यह बता सकना संभव नहीं है कि इनमें से कितने लोग आक्रमणकारियों की कार्यवाही के फलस्वरूप निराश्रित बने।

श्री पी० टी० चाको : इन भारतीयों के स्वदेश वापस आने में सरकार को कुल कितनी राशि व्यय करनी पड़ी ?

श्री अनिल के० चन्दा : १ जनवरी, १९४९ से ३० सितम्बर, १९५२ तक अन्तर्ग्रस्त राशि ८,२१,६३५ रुपये थी।

श्री पी० टी० चाको : इन भारतीयों के स्वदेश वापस लौटाने में और बर्मा के विद्रोहियों द्वारा अधिकृत क्षेत्रों से भारतीयों को निकाल कर रंगून तक पहुंचाने में बर्मा सरकार ने क्या सहायता दी ?

श्री अनिल के० चन्दा : सरकार ने उन का स्टीमर-भाड़ा दिया और भारत जाने से पहले उनको जितने दिन रंगून ठहरना पड़ा, उनको भोजन और निवास दिया।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं जान सकता हूं कि बर्मा सरकार ने इस के लिये कुछ व्यय किया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम ने इन लोगों पर ८,२१,६३५ रुपये व्यय किये हैं।

श्री पी० टी० चाको : अर्थात् बर्मा सरकार ने ?

श्री अनिल के० चन्दा : नहीं। यह व्यय तो भारत सरकार ने किया है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार बर्मा के विद्रोहियों द्वारा अधिकृत क्षेत्र में फंसे हुए भारतीयों की संख्या का कुछ अंदाज है ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, मुझे पता नहीं कि विद्रोहियों द्वारा अधिकृत क्षेत्र स्पष्टत: चिन्हित कर दिये गये हैं, पर उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश भारतीय १९४९ तक जब आक्रमणकारियों का आन्दोलन चोटी पर पहुंच गया था, वहां से चले आये थे।

श्री के० के० बसु : हम जान सकते हैं कि क्या सरकार ने पता लगाया है कि ये भारतीय अपने आप चले आये थे या वहां से भगा दिये गये थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : उन क्षेत्रों के विद्रोहियों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, अत: हम यह पता नहीं लगा सकते कि उनको भगा दिया गया था अथवा वे अपने आप चल आये।

योजना आयोग

*५४१. **श्री बी० पी० नायर** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १५ अक्टूबर, १९५२ तक योजना आयोग पर किया गया व्यय; तथा

(ख) पंच वर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में और कितना व्यय होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री हाथी) : (क) योजना आयोग के आरम्भ से १५ अक्टूबर, १९५२ तक इस पर २४,९६,१८५ रुपये की कुल राशि व्यय की गई है।

(ख) पंचवर्षीय योजना का अंतिम वृत्तांत प्रकाशित होने तक लगभग ९९,५०० रुपयों के और व्यय होने की संभावना है।

श्री बी० पी० नायर : पूर्णत: योजना आयोग के ही काम के लिए रखे गए योजना-आयोग के प्रत्येक सदस्य का वेतन और मानदेय प्रतिमास मध्यमानत : कितना होता है ?

श्री हाथी : जहां तक सदस्यों के वेतनों का सम्बन्ध है, आजकल केवल दो सदस्य वेतन लेते हैं। श्री वी० टी० कृष्णमाचारी एक एकीकृत मानदेय लेते हैं और श्रीमती दुर्गाबाई वेतन लेती हैं। अन्य सदस्य, जो मंत्री हैं, योजना आयोग से कुछ वेतन नहीं लेते।

श्री वी० पी० नायर : मेरा प्रश्न था कि "प्रति मास मध्यमानत: वेतन क्या है ?" उत्तर यह है कि वे वेतन लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह आंकड़े बता सकेंगे ?

श्री हाथी : मैं मासिक आंकड़े नहीं बता सकता, वार्षिक आंकड़े बता सकता हूं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : इसमें १२ से भाग दे दें, उत्तर आ जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह वार्षिक आंकड़े बता दें ।

श्री हाथी : इन अधिकारियों के वेतन २५०० और १८०० रुपये हैं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : योजना आयोग का सदस्य एक मंत्री अर्थात् मंत्री पर्षद् के सदस्य न होने वाले एक मंत्री के समकक्ष ही है ।

श्री वी० पी० नायर : इस योजना आयोग के सदस्यों के दौरों के ऊपर व्यय होने वाली कुल राशि है ?

श्री हाथी : जैसा मैं ने अभी बताया, केवल दो ही सदस्य वेतन ले रहे हैं और उनके वेतन २५०० और १८०० रुपये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह दौरों के आंकड़े अलग बता सकते हैं ।

श्री हाथी : मेरे पास उसके आंकड़े नहीं हैं ।

श्री सारंगधर दास : मुझे एक प्रश्न पूछना है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लें । और प्रश्न भी हैं ।

श्री सारंगधर दास : योजना आयोग . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । योजना आयोग का वृत्तान्त आने दें ।

धातु कार्मिक कोयला

*५४३. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि धातु-कार्मिक कोयले को थाक जमाने और धोने के लिये संरक्षित रखा जायगा ?

(ख) यह संरक्षित भंडार कितने वर्ष चलेगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) ऐसा सोचा जा रहा है कि चनी हुई श्रेणियों और १ तथा २ श्रेणियों के धातु-कार्मिक कोयले का काम करने वाली सभी खानों के विषय में बचाव के लिये थाक जमाने को अनिवार्य रूप से लागू किया जायगा, यदि ऐसा करने से उन से कम राख वाला कोयला अधिक निकाला जा सके । धोना मूलत: निम्न श्रेणी के कोयले के लिये आवश्यक होगा, जिससे धातुकार्मिक कामों के लिये उसे उपयुक्त बनाया जा सके । बचाव के लिये थाक जमाने और धोने की समस्याओं की ओर कोयला-पर्षद् का ध्यान आकर्षित हो रहा है, पर उसके द्वारा अभी किसी सविवरण योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) निकास की यदि नये भंडार न खोजे गये और थाक जमाने, समेटने और धोने के लिये कुछ न किया गया, तब भी निकास की वर्तमान दर से धातुकार्मिक कोयला ८० वर्ष चलेगा, पर थाक जमाने, समेटने और धोने पर वर्तमान सुरक्षित भंडार १६० या नये भंडारों की खोज होने पर और अधिक समय तक चलेंगे ।

औद्योगिक गृह-निर्माण

*५४४. **प्रो० अग्रवाल :** (क) क्या निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने १९५२-५३ में औद्योगिक गृह निर्माण पर

९ करोड़ रुपये के उपयोग के लिये कोई निश्चित योजना बनाई है ?

(ख) यदि बनाई है, तो वर्तमान वर्ष में कितने मकानों के पूरे होने की आशा है ?

(ग) योजना में कौन-कौन नगर लिये गये हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जैसा शायद माननीय सदस्य को विदित है, औद्योगिक कर्मचारियों के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष सम्बन्धी एक सहाय-प्राप्त गृह निर्माण योजना पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है। वर्तमान वर्ष के ९ करोड़ के आय-व्ययक में से ७.१६ करोड़ रुपये की राशि केवल औद्योगिक गृह निर्माण पर व्यय की जायगी। शेष राशि गंदी बस्तियों को साफ़ करने और यदि उपयुक्त योजनायें बनाई गईं तो निम्न आय वाले अन-उद्योगी वर्गों की गृह निर्माण संस्थाओं को ऋण देने में व्यय की जायगी।

(ख) वर्तमान वर्ष के उपबन्धों के अधीन २८,५०० एक कमरे वाले निवास बनने हैं।

(ग) सरकार की योजना विशेष नगरों तक ही सीमित नहीं है। यह तो विविध राज्य सरकारों के ही लिये है कि वे केन्द्रीय सरकार के पास अपने प्रस्ताव भेजने से पहले अपने क्षेत्र के नगरों की आवश्यकताओं का परीक्षण करें।

प्रो० अग्रवाल : क्या योजना में श्रम सहयोगी संस्थाओं द्वारा गृह निर्माण किये जाने का कोई उपबन्ध है ?

सरदार स्वर्ण सिंह: हां, श्रीमान्।

प्रो० अग्रवाल : नगरों में छोटे पैमाने वाले उद्योगों में लगे हुये श्रम के लिये गृहनिर्माण का भी कोई उपबन्ध है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हां, श्रीमान्। यदि वे औद्योगिक-श्रम की परिभाषा में आ जायें।

श्री के० के० बसु: क्या कलकत्ते के आसपास औद्योगिक गृहनिर्माण की कोई योजना है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हां, श्रीमान्।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि नगरों की गंदी बस्तियों की सफ़ाई के लिये कोई नीति अपनाई गई है—क्या झोंपड़ियों के लिये नाममात्र का दाम दे कर उनको बाहर निकाल दिया जाता है, या उनके लिये वैकल्पिक स्थान दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : सच पूछो तो मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मंत्री ने बताया था कि नगरों की गंदी बस्तियों की सफ़ाई के लिये कुछ राशि निश्चित की गई है। अतः मैं अपनाई गई नीति के विषय में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : गंदी बस्तियों की सफ़ाई के बारे में क्या नीति है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : गंदी बस्ती की सफ़ाई में अवश्य ही विस्थापितों के लिये गृहों का कुछ न कुछ उपबन्ध भी निहित रहता है। अन्यथा वह योजना योजना ही नहीं।

श्री राघवेन्द्र व्यास : मैं जान सकता हूं कि विभिन्न नगरों में गृहनिर्माण सम्बन्धी इस योजना में विभिन्न राज्यों द्वारा संशोधन किये जा सकते हैं, और यदि किये जा सकते हैं, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे किसी निवेदन पर विचार किया जायगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वस्तुतः हम विभिन्न नगरों या राज्य सरकारों के ऊपर कोई योजना नहीं थोपते। योजना तैयार करना विविध राज्य सरकारों का कार्य है और

मुझे पूरा विश्वास है कि वे स्थानीय दशाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल योजनायें ही बनायेंगी ।

श्री मेघनाद साहा : क्या सरकार को बंगाल से कलकत्ता-बन्दरगाह क्षेत्र की गंदी बस्ती की सफ़ाई के विषय में कोई योजना मिली है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं, श्रीमान्, बन्दरगाह क्षेत्र के बारे में नहीं ।

चांदनी कागज मिल

*५४५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चांदनी क़ागज मिल कब उत्पादन शुरू करेगी ?

(ख) इसकी कुल उत्पादन-क्षमता क्या होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५३ के मध्य के आसपास से ।

(ख) ३०,००० टन प्रति वर्ष ।

श्री ईश्वर रेंड्डी : क्या यह राज्य-स्वामित्व में है या निजी स्वामित्व में ; और यदि निजी स्वामित्व में, तो मालिक कौन हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मिल का इतिहास बहुरंगा है । यह निजी उपक्रम के रूप में शुरू हुआ था, पर विशेष प्रगति न कर सका । आजकल इसका नियंत्रण मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और मेरा अनुमान है कि इसके साथ ही आवश्यक धन लगाने का उत्तरदायित्व भी उसका हो गया है ।

श्री ईश्वर रेड्डी: क्या राज्य द्वारा कोई सहायता दी गई है ? क्या यह राज्य से सहायता प्राप्त है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने कहा था कि इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया गया है ।

श्री ईश्वर रेड्डी : राज्य सहायता की राशि और स्वरूप क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस कम्पनी को मूलत: ५ करोड़ रुपये की पूंजी से चलाया गया था । निर्गमित पूंजी लगभग १.५ करोड़ रुपये है । प्राथित-पूंजी १.४ करोड़ रुपये है, जिसमें से एक शेयर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है । पर उसे पता चला कि १.४ करोड़ की पूंजी से कम्पनी पनप न सकेगी, अत: ग्रहण करने के बाद से वह धन इकट्ठा कर रही है । अन्त में पूरी योजना की प्राक्कलित लागत ४.५ करोड़ रुपया होने की आशा है ।

श्री सारंगधर दास: क्या हम यह समझें कि यह मिल वैसा ही है जैसा नेपा मिल है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हां, श्रीमान् । यह तत्समान मिल है ।

चांदनी पेपर मिल के लिए एक विशेषज्ञ का आगमन

*५४६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चादनी क़ागज मिल योजना का स्थल देखने के लिये कोई विशेषज्ञ आये थे और उन्होंने कोई प्राविधिक परामर्श दिया था ?

(ख) वे कौन थे और उनका परामर्श क्या था ?

(ग) क्या कोई विदेशी विशेषज्ञ कारखाने के कर्मचारियों में होंगे ?

(घ) मशीनों का आयात कहां से हो रहा है और क्या वे दुनिया में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ मशीनें हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) श्री एच० ए० हारविक और श्री एफ़ सी० गार्डनर, जो मेसर्स एबास्को सर-विसेज़ इनकारपोरेटेड, न्युयार्क के क्रमश: प्रबन्धक और उपसभापति हैं और नेपा मिल के परामर्शदाता हैं । उन्हें सन्तोष है कि संयंत्र की डिज़ाइन अच्छी है और आधु-निक इंजीनियरी रीति के अनुकल है तथा संपन्न कार्य का प्रकार प्रत्येक दृष्टि से सन्तोष-प्रद है ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) अधिकांशत: सं० रा० अमरीका से और कुछ इंगलैंड से । परामर्शदाता ों द्वारा मिलों को आश्वासन दिया गया है कि प्रमाणित कृत्य वाली नवीनतम मशीनें प्राप्त की जा रही हैं ।

श्री ईश्वर रेड्डी : सं० रा० अमरीका और इंगलैंड से इन मशीनों के मंगाने से पहले क्या ऐसी मशीनें रखने वाले सभी देशों से भाव पूछे गये थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विषय का सम्बन्ध मूलत: मध्य प्रदेश सरकार से है । चूंकि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न रखा था, हम ने यह जानकारी प्राप्त कर ली है । भाव कैसे पूछ गये थे, आर्डर कहां भेजे ये थे, और परीक्षण कैसे किया गया था—इन सब प्रश्नों का उत्तरदायित्व मध्य प्रदेश सरकार का है ।

श्री ईश्वर रेड्डी : वहां विदेशी विशेषज्ञ कितने हैं, वे कौन-कौन हैं और उनके वेतन क्या हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं कह चका हूं कि वहां पर विदेशी विशेषज्ञ हैं, मैं ने यह भी संकेत किया था कि ये परामर्शदाता कौन हैं, पर मुझे भय है कि मैं यह बता सकने की स्थिति में नहीं हूं कि ये विशेषज्ञ क्या हैं, उनके वेतन क्या हैं और वे कहां से आये हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में क़ागज उद्योग को नियंत्रित करना है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री जसानी : मैं जान सकता हूं कि क्या श्री हारविक द्वारा इस मिल को चलाने के लिये पानी के संभरण के विषय में पड़ताल की गई थी और यदि की गई थी, तो प्रति-वेदन क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पता चला है कि परामर्शदाता द्वारा एक पड़ताल की गई थी । उन्होंने माना कि पानी पर्याप्त रूप में नहीं मिल रहा है और मिल के लिये पानी के पर्याप्त संभरण का उपबन्ध करने के लिये उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से मिल की जगह से बहुत ही निकट एक बांध बनाने के लिये कुछ सुझाव भी दिये हैं। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उस सुझाव को मान लिया है ।

श्री जसानी : उसमें अंतर्ग्रस्त अतिरिक्त व्यय कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे भय है कि यह मेरे क्षेत्र में नहीं है । वह जानकारी मैं प्राप्त नहीं कर सका ।

श्री दामोदर मैनन उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय विवरणों को लेने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि इस विषय का सम्बन्ध मध्य प्रदेश सरकार से है ।

श्री ईश्वर रेड्डी : क्या भारतीय प्रवि-धिज्ञ व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये कोई उपबन्ध है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह सरकार की साधारण नीति है । विदेशी प्रविधिज्ञों के आने की अनुमति देते समय भारत-सर-कार सदैव इस बात पर जोर देती है कि वे

भारतीय प्रविधिज्ञों को शिक्षित बनायें, जो कालान्तर में उनका स्थान ले लेंगे । यह सरकार की साधारण नीति है, जिस को प्रत्येक मामले में जोर देकर प्रवर्तित किया जाता है ।

अभरक के बचें खुचे टुकड़े

*५४७. **श्री नानादास :** (क) **क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सारी अभ्रक खानों में उपलब्ध अभ्रक के बचे-खुचे टुकड़ों का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

(ख) यदि कुछ भी उपयोग नहीं किया जाता, तो क्या भारत में अभ्रक के बचे-खुचे टुकड़ों का किसी भी रूप में उपयोग करने के लिये कुछ प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

(ग) यदि नहीं किये जा रहे तो क्या इसका निर्यात किया जा रहा है, और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में निर्यातित अभ्रक के बचे-खुचे टुकड़ों का कुल मूल्य क्या है, और इसका निर्यात किन किन देशों को किया गया था ?

(घ) यदि इसका निर्यात हुआ था, तो विगत तीन वर्षों में भारत सरकार को इस पर कितने सीमा-शुल्क की आय हुई थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)तथा (ख) । देश में थोड़ी सी मात्रा मोटर टायरों, ग्रीज और बौइलर परिवेष्टणों और अभ्रक विपाटों के झाड़ने आदि में प्रयुक्त होती है । साथ ही कुछ फर्में अभ्रकी (मिकेनाइट) के निर्माण की योजना भी बना रही हैं ।

(ग) वांछित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९]** ।

(घ) अभ्रक के बचे-खुचे टुकड़ों के निर्यात पर सीमा–शुल्क नहीं ली जाती ।

श्री नाना दास : मैं जान सकता हूं कि क्या अभ्रक-जांच समिति ने भारत से अभ्रक के बचे-खुचे टुकडों के निर्यात के ऊपर रोक लगाने की सिफारिश की थी, और यदि की थी तो क्या सरकार ने उसके निर्यात पर रोक लगाने का निश्चय किया है ? और उसे कब कार्यान्वित किया जायगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सुझाव आये थे कि अभ्रक के बचे-खुचे टुकड़ों पर रोक लगाई जानी चाहिये और सरकार इन सारे सुझावों पर विचार कर रही है और अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है । मैं माननीय सदस्य को यह भी बता दूं कि हमारे द्वारा निर्यात होने वाली अभ्रक की तुलना में उसके बचे-खुचे टुकड़े प्रायः नगण्य हैं ।

श्री नानादास : क्या मैं अभ्रक-जांच समिति के सदस्यों के नाम जान सकता हूं और रोक लगाने की सिफारिश के समर्थन में उनके मुख्य तर्क क्या थे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कारण जानना चाहते हैं ?

श्री नानादास : उनके मुख्य तर्क ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूर्णतः सहमत हूं । क्या रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वस्तुतः अभ्रक का विदोहन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के क्षेत्र में नहीं है । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का सम्बन्ध मुख्यतः अभ्रक के निर्यात से है । अभ्रक का विदोहन प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय का कार्य है और मैं माननीय सदस्य को सम्बन्धित मंत्री को एक प्रश्न सम्बोधित करने का सुझाव दूंगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं अभ्रक के बचे-खुचे टकड़ों का कुल वार्षिक निर्यात

और उन देशों के नाम जान सकता हूं, जहां इसका निर्यात किया गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: अभ्रक के बचे-खुचे टुकड़ों का निर्यात मूल्य में लगभग १० लाख रुपये होता है। मुझे भय है कि देशों के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री एस० वी० रामस्वामी: क्या भारत में ऐसी कोई फ़ैक्टरी है, जो अभ्रक के बचे-खुचे टुकड़ों का उपयोग वैद्युत विसंवाहन के निर्माण में कर सके ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई फैक्टरी है। पर मैं ने बताया कि अभ्रकी (मिकैनाइट) के निर्माण की योजनायें चल रही हैं। अभ्रकी को वैद्युत-विसंवाहन में कहां तक प्रयुक्त किया जा सकता है, यह तो विशेषज्ञ ही बता सकेंगे, कम से कम मुझे तो विदित नहीं।

श्री के० के० बसु: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अभ्रक के बचे-खुचे टुकडों के नगण्य निर्यात के कारण भी ज्ञात किये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: ऐसा लगता है कि कुछ लोग अभ्रक के बचे-खुचे टुकड़ों का अधिक निर्यात करना चाहते हैं और कुछ चाहते हैं कि निर्यात पर रोक लगा दी जाय। और यदि निर्यात नगण्य है, तो मेरी समझ से सरकार इस विषय में संतुष्ट है और इसने दोनों पक्षों को भी सन्तुष्ट कर दिया है।

सामुदायिक परियोजनाएं

*५५१. **श्री एस० सी० सामन्त:** (क) क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये बनीं राज्य विकास समितियों के परामर्शदाता पर्षदों में असरकारी लोगों के न लिये जाने का कारण क्या है ?

(ख) सामुदायिक योजनाओं से सम्बन्धित किन संगठनों में असरकारी लोग लिये गये हैं ?

(ग) क्या योजनाओं के कार्यान्वित करने के लिये स्थानीय सामाजिक तथा सार्वजनिक संस्थाओं से इस समय सहायता मांगी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) तक। मुख्य कारण यह है कि राज्यविकास-समितियों के परामर्शदाता बोर्ड सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कुछ प्रशासनीय पहलुओं को निपटाने के लिये बनाये गये हैं। वास्तविक आयोजन और निष्पादन परियोजना स्तर पर किया जाता है और परियोजना-परामर्शदात्री समितियों में, जो प्रत्येक परियोजना के लिये एक एक हैं, असरकारी लोगों को लिया जाता है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि इन असरकारी लोगों को किन समितियों में राज्य-स्तर पर लिया जाता है ?

श्री हाथी: वे परियोजना-स्तर की समितियों में लिये जाते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या माननीय मंत्री का तात्पर्य परियोजना-परामर्शदात्री समितियों से है ?

श्री हाथी: हां, श्रीमान्।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की आलेख रूपरेखा में पृष्ठ २५२ पर यह कहा गया है कि :

> "यह आश्वस्त करने के लिये कि योजना में अपने कार्यक्रमों के सम्बन्ध में स्थानीय संस्थायें भाग ले सकें, राज्यों में विशेष पग उठाने पड़ेंगे।"

श्री हाथी: हां, श्रीमान्।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इन समितियों में स्थानीय सामाजिक तथा अन्य संस्थाओं को प्रतिनिधित्व किस रूप में दिया गया है ?

श्री हाथी : हां, श्रीमान् । स्थानीय संस्थाओं तथा अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओं को परियोजना-स्तर वाली समितियों में लिया जाता है और लिये जाने वाले व्यक्तियों में कुछ संसद् के स्थानीय सदस्य, राज्य विधान सभाओं के स्थानीय सदस्य, जिला बोर्ड के स्थानीय सदस्य, खेतिहरों के सुनिर्दिष्ट प्रतिनिधि, व्यावहारिक किसान तथा अन्य लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं । उनको परियोजना-स्तर पर लिया जाता है, अर्थात् जब परियोजना-कार्य वस्तुतः करना होता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने अर्द्धसरकारी संस्थाओं और अन्य खेतिहरों की बात कही । मैं जान सकता हूं कि क्या सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी लेने का विचार है ?

श्री हाथी : हां, श्रीमान् ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, भाग (ङ) के प्रसंग में, क्या मैं जान सकता हूं कि इन स्थानीय संस्थाओं और संसद् तथा विधान सभाओं के सदस्यों से कितनी सहायता प्राप्त की गई है ।

श्री हाथी : श्रीमान्, ठीक यही तो मैं ने कहा था । स्थानीय संस्थाओं, संसद् तथा विधान-सभाओं के सदस्य समितियों में लिये जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि इन लोगों द्वारा क्या सहायता की गई है ?

श्री हाथी : श्रीमान्, वह उत्साहवर्द्धक है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं माननीय मंत्री को बता सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । यदि वह चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिये क्या विभिन्न मत दान क्षेत्रों के संसद् सदस्यों को लिया गया है ?

श्री हाथी : हां, श्रीमान् ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि परियोजनाओं के काम से प्राविधिक सहयोग प्रशासन के अमरीकी विशेषज्ञों का सम्बन्ध किस रूप में है ?

श्री हाथी : श्रीमान्, जहां भी आवश्यक है, इन विशषज्ञों से मंत्रणा की जाती है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी सम्बन्ध का स्वरूप क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

चम्बल घाटी परियोजना

*५५२. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या चम्बल घाटी परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना में लिया गया है ?

(ख) परियोजना की प्राक्कलित लागत क्या है ?

(ग) परियोजना के निष्पादित हो चुकने पर कितनी जल विद्युत उपलब्ध हो जायगी ।

(घ) कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी और अतिरिक्त खाद्य-उत्पादन कितना होगा ?

(ङ) कितने बांध और बैरेज बनाये जायेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) परियोजना का

प्रथम-चरण योजना-आयोग ने प्रथम पंच-वर्षीय-योजना में सम्मिलित करने के लिये स्वीकार कर लिया है ।

(ख) लगभग ४९ करोड़ रुपये पूरी योजना के लिये और ३३.७५ करोड़ प्रथम-चरण के लिये ।

(ग) अन्त में ६० प्रति शत उद्भरण-कारक (लोड फैक्टर) की दर पर २,००,००० किलोवाट और प्रथम-चरण की समाप्ति पर ६० प्रति शत उद्भरण-कारक की दर पर ६०,००० किलोवाट ।

(घ) (१) १२ लाख एकड़ ज़मीन ।

(२) ४ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न ।

(ङ) चार, नामतः :—

(१) गांधी सागर बांध (मध्य भारत) ।

(२) राणा प्रताप सागर बांध (राजस्थान) ।

(३) कोटा बांध (राजस्थान) ।

(४) कोटा के नीचे बैरेज (राजस्थान) ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि इस परियोजना की जलविद्युत योजना को फिलहाल छोड़ दिया गया है ? यदि सच है, तो क्यों ?

श्री हाथी : नहीं श्रीमान्, यह सच नहीं है । प्रथम-चरण में गांधी सागर बांध और बिजलीघर बनने हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कोटा के निकट वाला बैरज बनना शुरू हो गया है और राणा प्रताप सागर बांध किस स्थिति में है ?

श्री हाथी : श्रीमान्, इसका बनना अभी शुरू नहीं हुआ है ।

श्री राधेलाल व्यास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में इस योजना पर कितनी राशि व्यय होगी ?

श्री हाथी : श्रीमान्, मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के काल में कितना व्यय होगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस स्कीम (योजना) का काम शुरू हो गया है या नहीं ?

श्री हाथी : श्रीमान्, अभी कार्यारम्भ नहीं हुआ है ।

श्री बलवन्त सिन्हा मेहता : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या मध्य भारत और राजस्थान सरकारों द्वारा पूरी योजना संयुक्त रूप से हाथ में ली जायगी या अलग-अलग ।

श्री हाथी : श्रीमान्, प्राविधिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्वों को ले कर दोनों के बीच चर्चा होगी ही ।

श्री राधेलाल व्यास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि अब तक इस योजना के ऊपर १ करोड़ ३० लाख रुपये मध्य भारत सरकार द्वारा व्यय किये गये हैं, और लगभग ४० लाख राजस्थान सरकार द्वारा ?

श्री हाथी : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच पारपत्र और दृष्टांक

*५५३. **श्री बी० के० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा पाकिस्तान के बीच नई पारपत्र प्रणाली के अधीन अब तक

कितने पारपत्र और दृष्टांक दिये गये हैं ;

(ख) एतदर्थ क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; तथा

(ग) इस प्रणाली के चलाने में वार्षिक व्यय क्या होगा ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) ३१ अक्तूबर तक भारत के लिये ५५०० विशेष पारपत्र और २७१२ दृष्टांक दिये गये । इसमें अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के लिये वैध पारपत्र सम्मिलित नहीं है, जो पाकिस्तान की यात्रा के लिये भी वैध बनाये जा सकते हैं ।

(ख) भारत की सभी राज्य-सरकारें आसाम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, और बिहार के पूर्निया ज़िले के ज़िलाधीश केवल पाकिस्तान की यात्रा के लिये वैध पारपत्र देने के लिये अधिकृत बनाये गये हैं और उनको आवश्यक कर्मचारी वर्ग और सामग्री दी गई है । पंजाब के दो आयुक्तों और चार उप-आयुक्तों को भी तीर्थयात्रियों और सद्भावना मिशनों जैसी विशेष श्रेणियों और अपहृत व्यक्तियों के लाने के सम्बन्ध में आपात प्रमाणपत्रों और पारपत्रों को देने की शक्ति दी हुई है । पाकिस्तानी प्रजाजनों को दृष्टांक देने के लिये कराची, लाहौर और ढाका में दृष्टांक कार्यालय खोले गये हैं । बम्बई और कलकत्ता के शिपिंग मास्टरों को भी इन बन्दरगाहों में आने वाले पाकिस्तानी सामुद्रिक मल्लाहों को दृष्टांक देने का अधिकार दिया गया है ।

(ग) वार्षिक व्यय तब तक ठीक ठीक जोड़ा नहीं जा सकता जब तक यात्रियों का यातायात स्थिर न हो जाय । अक्टूबर, १९५२ से मार्च, १९५३ तक का प्राक्कलित व्यय २९ लाख रुपये है, जिसमें ९ लाख रुपये पाकिस्तान स्थित दृष्टांक कार्यालयों के कारण है, २ लाख रुपये पारपत्र सम्बन्धी कार्य के लिये राज्य सरकारों को सहायता देने के लिये, १४ लाख पारपत्र पुस्तिकाओं और प्रपत्रों के छपाने के लिये और ढाई पूर्वी बंगाल की सीमा पर चौकियां बैठाने के लिये है । शेष प्रधान केन्द्र के व्यय और सामग्रियों के लिये है । पूरे व्यय की होने वाली आय द्वारा पूर्ति हो जाने की आशा है ।

श्री बी० के० दास : भाग (क) के उत्तर के निर्देश में, क्या मैं पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान सम्बन्धी आंकड़े अलग अलग जान सकता हूं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे भय है कि यह सूचना मेरे पास यहां प्रस्तुत नहीं है ।

श्री बी० के० दास : श्रीमान्, क्या मैं दिये गये स्वदेश-प्रत्यावर्तन (रिपैट्रिएशन) प्रमाणपत्रों की संख्या जान सकता हूं ।

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे द्वारा दिये गये स्वदेश-प्रत्यावर्तन प्रमाणपत्रों की ? मेरे पास ये आंकड़े यहां नहीं है । प्रश्न केवल पारपत्रों का निर्देश करता था ।

श्री बी० के० दास : प्रश्न के भाग (ग) के निर्देश में, क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा बताये गये व्यय में अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्रों के सम्बन्ध में अब तक किया गया व्यय भी सम्मिलित है ?

श्री अनिल के० चन्दा : नहीं, श्रीमान् । यह केवल नये प्रबन्ध का ही निर्देश करता है ।

श्री बी के० दास: पूर्वी पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों के लिये प्रमाणपत्र देने के लिये क्या क्या विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री अनिल कें चन्दा : ढाका स्थित उच्चायुक्त के कार्यालय को यह अधिकार दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल पूरा हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिन्दुस्तान शिप-यार्ड

*५४२. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विशाखापटनम् शिपयार्ड की अधिकतम उत्पादन-क्षमता कितनी है और आज कल वहां कितने जहाज़ बन रहे हैं ?

(ख) विशाखापटनम् में जहाज़ों के बनाने में कितने मज़दूर लगे हुये हैं और इस यार्ड में एक जहाज़ बनाने में कितना समय लगता है ?

(ग) क्या जहाज़ों के निर्माण के लिये कच्चे पदार्थ उपलब्ध हैं और क्या यार्ड का पूरी क्षमता के अनुसार उपयोग हो रहा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) दो बर्थों पर काम चल रहा है। तीसरी बर्थ प्राय: पूरी हो चुकी है। दो जहाज नौतल (कील) पर हैं। एक जहाज़ की मरम्मत हो रही है।

(ख) १४ अक्तूबर, १९५२, को कामकरों की संख्या ३७१४ थी। यदि पदार्थों विशेषत: फौलाद का संभरण नियमित होता रहे, तो नौतल बिछाने के दस महीने बाद एक जहाज़ वितरण के लिये तैयार हो जायगा।

(ग) फ़ौलाद तथा मशीनों के संभरण सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों के कारण यार्ड का सदैव पूरी क्षमता के अनुसार उपयोग नहीं हो पाता।

हथकरघा उद्योग

*५४८. **श्री मोहन राव:** (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारत में हथकरघा वस्त्र की हज़ारों गांठों के संचित ढेर को निपटाने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

(ख) हथकरघा-कामकरों के लिये सूत के लिये नियमित संभरण और वस्त्र की नियमित बिक्री के लिये क्या सरकार कोई पग उठाना चाहती है ?

(ग) इस उद्योग को दृढ़ आधार पर स्थापित करने में सहायता देने के लिये सरकार कब और क्या योजना बना रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग) तक। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०**।]

सामुदायिक परियोजना के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

*५४९. **श्री राघवय्या:** (क) क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक परियोजना-पदाधिकारियों के लिये हाल में हुये प्रशिक्षण-शिविर के ऊपर कितना व्यय किया गया था ?

(ख) इसमें कितने पदाधिकारी आये, और किन राज्यों से ?

(ग) पाठ्य-कार्यक्रम क्या था ?

(घ) क्या ये पाठ्यक्रम प्रत्येक राज्य में भी रखे जायेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) ८६९३ रुपये।

(ख) दिल्ली, मनीपुर, और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों को छोड़ सभी राज्यों से ८२।

(ग) पाठ्यक्रम में विविध विषयों पर भाषण, क्षेत्र में व्यावहारिक कार्य, अध्ययनार्थ यात्रा, मनोरंजक तथा सांस्कृतिक कायकलाप सम्मिलित थे।

(घ) नहीं।

सामुदायिक परियोजनाओं के लिए आयव्ययक

*५५०. **श्री मोहन राव:** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य की सामुदायिक परियोजनाओं के आयव्ययकों को अन्तिम रूप से कौन तैयार करता है ?

(ख) क्या प्रत्येक राज्य के ये आयव्ययक पूर्णत: तैयार किये जा चुके हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक राज्य के आयव्ययकों के विवरण बताना चाहती है ?

(घ) क्या उक्त आयव्ययकों की विविध मदों के लिये होने वाले आवंटन के ऊपर भारत सरकार कुछ नियंत्रण रखती है ?

(ङ) प्रत्येक राज्य के कुल व्यय के कितने प्रतिशतक की क्रमश: विदेशी ऋण, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पूर्ति की जाती है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सामुदायिक परियोजना प्रशासन ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) हां ।

(ङ) प्रतिशतक क्रमश: ५.५, ७१ और १९ हैं ।

आसाम बंगाल सीमेंट कम्पनी

*५५४. **श्री बेली राम नास:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम बंगाल सीमेंट कम्पनी, जो पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है और जिस का प्रधान कार्यालय कलकत्ते में है, भारतीय प्रजाजनों की ही है ?

(ख) उक्त कम्पनी के डायरेक्टर कौन हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि उक्त कारखाने में सीमेंट तैयार करने के लिये आवश्यक चूर्णप्रस्तर आसाम से दिया जाता है ?

(घ) राज्य को सीमेंट देने के बारे में उस सीमेंट कम्पनी द्वारा आसाम राज्य को क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

(ङ) क्या यह सच है कि विभाजन के बाद से इस कारखाने ने आसाम को सीमेंट देना बन्द कर दिया है, यद्यपि उसको आसाम से चूर्णप्रस्तर नियमित रूप से मिलता जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२ ।]**

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) भारत सरकार को ऐसी किसी सुविधा का ज्ञान नहीं है ।

(ङ) नहीं, श्रीमान् ।

उद्योग शुरू करने के लिये सहायता ।

*५५५. **श्री एन० पी० सिन्हा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९५१-५२ वर्ष में सरकार ने निजी उपक्रमों को भारत में छोटे-बड़े उद्योग शुरू करने के लिये, सहायता दी है; तथा

(ख) यदि दी है, तो किन को और किन उद्योगों के लिये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) किसी भी बड़े उद्योग को शुरू करने के लिये कुछ सरकारी सहायता सदा आवश्यक होती है । उद्योग शुरू करने के लिये जो भी पंजीपति सरकार के पास सहायता प्राप्त कर

के लिये आते हैं, सरकार उनकी यथासम्भव सहायता करने के लिये सदा उद्यत रहती है।

(ख) एक विवरण, जिसमें फर्मों के नाम और उत्पादन की मदें बताई गई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या २२।]

फौलाद उत्पादन के लिये विश्व बैंक से ऋण

*५५६. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा भारत के फ़ौलाद उद्योग को बढ़ाने के लिये चार करोड़ रुपये का एक ऋण स्वीकृत किया गया है; तथा

(ख) यदि किया गया है, तो यह ऋण किन शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख)। अभी सारे मामले पर बातचीत चल रही है।

प्रेस आयोग

*५५७. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर:** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रेस आयोग के सभापति और सदस्यों की उपलब्धियां क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): सभापति, जिसकी सेवायें बम्बई सरकार द्वारा बम्बई के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद भारत सरकार के अर्पित की गई हैं, उतना ही वेतन लेते हैं, जितना बम्बई के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होने के रूप में, उनको मिलता। आयोग के सदस्य सरकार से कुछ वेतन नहीं लेते।

बम्बई में विस्थापित व्यक्तियों के उपयोग के लिए बाजार

*५५८. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में सिंध (पश्चिमी पाकिस्तान) से आये हुये विस्थापित व्यक्तियों के उपयोग के लिये कोई बाजार बनाने की आवश्यकता की ओर कभी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि किया गया है, तो उस विषय में की गई या करने के लिये सोची गई कार्यवाही; तथा

(ग) क्या यह भी सच है कि व्यापारिक समुदाय के अन्य विस्थापित व्यक्तियों के लिये दिल्ली में और अन्यत्र उपयुक्त बाजार बनाये गये ह ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) और (ख) . राज्यों में निर्माण-कार्यक्रम धन और स्थान आदि की उपलब्धता का और आवश्यकताओं पर आधारित कुछ प्राथमिकताओं के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकाओं का, पूरा ध्यान रखते हुये हाथ में लिया जाता है। (क) तथा (ख) भागों में निर्दिष्ट अभ्यावेदनों पर भविष्य के निर्माण कार्यक्रम को हाथ में लेते समय उचित विचार किया जायगा।

(ग) विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार दिल्ली में तथा अन्यत्र उनके लिये दूकानें बनाई गई हैं।

मकानों का निर्माण

*५५९. **श्री कृष्ण चन्द्र :** (क) **निर्माण-गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्त्तमान आय-व्ययक वर्ष में मकानों के निर्माण सम्बन्धी व्यय के लिये प्रस्तावित राशि क्या है ?

(ख) उक्त राशि में से कितना श्रमिकों के लिये मकानों के बनाने में और कितना जनसाधारण के लिये व्यय करने का विचार है ?

(ग) क्या जनसाधारण के लिए मकान बनाने की कोई योजना तैयार की गई है ?

(घ) यदि तैयार की गई है, तो क्या सरकार उक्त योजना को सदन पटल पर रखना चाहती है ?

(ङ) क्या सामान्य साधनों वाले लोगों को अपने मकान स्वयं बना सकने में समर्थ बनाने के लिये कुछ ऋण और अनुदान तथा जमीन देने का भी कोई प्रस्ताव है ?

(च) सहयोगी संस्थाओं द्वारा मकान-निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये योजना में कैसे प्रस्ताव रखे गये हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (च) तक। अपने आपको अपने मंत्रालय वाली गृहनिर्माण योजनाओं तक ही सीमित रखते हुये मैं माननीय सदस्य का ध्यान १८ नवम्बर, को डा० सत्यवादी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४६० के अपने उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के सभापति

*५६०. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का सभापति पदेन सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव भी है ;

(ख) क्या प्राक्कलन समिति ने अपनी पांचवीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि यह प्रबन्ध, जिसके अनुसार वही व्यक्ति सभापति के रूप में नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है और वही अतिरिक्त सचिव के रूप में उनको स्वीकार करता है, खतरों से भरा हुआ है ; तथा

(ग) सरकार ने उक्त सिफारिश पर क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) तक : माननीय सदस्य का ध्यान श्री दाभी द्वारा १० नवम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५० के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

सरकार का समाचार पत्रों के खरीदने पर व्यय

*५६१. **श्री आर० एन० सिंह** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार समाचार-पत्रों के खरीदने पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय करती है ?

(ख) इस में से कितना धन अंग्रेजी भाषा के पत्रों पर व्यय होता है और कितना भारतीय भाषाओं के पत्रों पर ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख)। सूचना एकत्र की जा रही है और यथोचित समय में सदन पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि

*५६२. **श्री जसानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री उन देशों के नाम बतलाने की कृपा करेंग जहां भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): निम्न देशों मे भारत के व्यापारिक प्रतिनिधि हैं :—

अदन, अफ्रीका (पूर्व), अर्जनटीना (दक्षिणी अमरीका), लंका, मिश्र, फ्रांस,

जर्मनी, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, मलाया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान (पूर्व तथा पश्चिम), स्विटज़रलैंड, थाईलैंड और इंगलैंड ।

मलाया के बन्दरगाहों पर भारतीयों को कठिनाइयां

*५६३. **श्री पुन्नूस :** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों म कितने भारतीय यात्री मध्यमानत: भारतीय बन्दरगाहों से मलाया गये हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार को उन कठिनाइयों के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है, जो भारतीय नागरिकों को मलाया के बन्दरगाहों पर झेलनी पड़ती ह ;

(ग) यदि नहीं मिली है, तो क्या सरकार ने इस विषय में प्रेस समाचार देखा है ;

(घ) क्या सरकार ने मलाया के बन्दरगाहों पर भारतीय नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई पग उठाये हैं ; तथा

(ङ) यदि उठाये हैं, तो वे पग क्या हैं और सरकारी प्रयत्नों का परिणाम क्या हुआ ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जून से सितम्बर, १९५२ तक के चार महीनों में प्रति मास मध्यमानत: लगभग ४३३० यात्री भारत के बन्दरगाहों से मलाया गये ।

(ख) और (ग) । हां, मलाया के हमारे प्रतिनिधि ने सूचित किया है कि भारत से मलाया जाने वाले डैक यात्रियों को प्रधानत: पेनांग और सिंगापुर में निरोधा-नियमनों के कारण कुछ कठिनाई हुई है । उनको हुई कठिनाइयां निरोधा-केन्द्रों पर सुविधाओं की कमी और असंतोषप्रद दशाओं से तथा यात्रियों को जहाज़ों से निरोधा-केन्द्रों तक और वापस ले जाने वाली नावों से सम्बन्धित थीं । उन को निरोधा-सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय भी झेलने पड़े थे ।

(घ) हां ।

(ङ) हमारे प्रतिनिधि के प्रयत्नों के फलस्वरूप पेनांग पर नये रूप में पुन: खोले गये निरोधा-केन्द्र में दशायें काफी सुधर गई हैं । निरोधा का काल भी ९ दिन से घटा कर ४ दिन कर दिया गया है ।

पता चला है कि मलाया सरकार ने पोत-यातायात कम्पनियों को अपने जहाज़ों से निरोधा-केन्द्रों तक डैक यात्रियों को ले जाने वाली नावों पर सुविधाओं में सुधार करने के लिये कड़ी चेतावनी दी है ।

चन्द्रनगर में भूमि का नियतन

*५६५. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे विस्थापित परिवारों की एक बहुत बड़ी संख्या को, जिनको चन्द्रनगर के प्रशासनीय अधिकारी से ज़मीन का नियतन मिल गया है और जिन्होंने गृहनिर्माण के लिये ऋण की प्रार्थना की है, अब तक आवश्यक ऋण, पूर्णत: या अंशत: नहीं मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या, और अब तक न मिलने का कारण ;

(ग) क्या यह सच है कि ऋण की पूरी राशि के मिलने के पहले ही चन्द्रनगर के प्रशासकीय अधिकारी द्वारा पहले किश्त वसूल करने के आदेश दे दिये गये थे ; तथा

(घ) यदि सच है तो क्या यह भारत सरकार के निदेशानसार किया गया था ?

पुनर्वास मंत्री (ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख) । ५५३ आवेदकों में से २८८ को पूरा ऋण दे दिया गया है और

९५ को अंशतः, और शेष १७० आवेदनों पर विचार हो रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंकड़े (प्रकाशन)

*५६६. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अपने आंकड़ों और विशेषतः व्यापार-समीक्षा के प्रकाशन में शीघ्रता कराने के लिये क्या उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): आंकड़ों के प्रकाशन में शीघ्रता कराने के लिये निम्न पग उठाये गये हैं:—

(१) आंकड़ों को अद्यतन बनाने के लिये यथासम्भव संयुक्त अंक तैयार किये जा रहे हैं।

(२) मुद्रण की देरी कम से कम करने के लिये सम्बन्धित प्रेस में कर्मचारीवग बढ़ा दिया गय है।

(३) व्यापार-समीक्षा सम्बन्धी कार्य मंत्रालय के एक अधिकारी को सौपा गया है और आशा है कि १९५१-५२ में समाप्त होने वाले पांच वर्षों का संयुक्त अंक अगले वर्ष के आरम्भ में निकल जायगा।

आसाम में विस्थापित व्यक्तियों का व्यवस्थापन

*५६७. **श्री एच० एन० मुखर्जी:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को आसाम के उन क्षेत्रों में बसाने की सम्भावना पर विचार कर रही है, जो संघीय सरकार की ओर से राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रशासित होते हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : नहीं।

विस्थापित निवृत्ति-वेतन-भोगी

*५६८. **श्री मेघनाद साहा:** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाले विस्थापित निवृत्ति-वेतन-भोगियों को, जो पूर्वी पाकिस्तान सरकार से निवृत्ति-वेतन पा रहे हैं, नियमित रूप से निवृत्ति-वेतन मिलता रहे, इसके लिये सरकार ने यदि कुछ पग उठाये हैं, तो वे क्या हैं ?

(ख) क्या सरकार को पूर्वी पाकिस्तान वाले विस्थापित निवृत्ति-वेतन-भोगियों से इन निवृत्ति-वेतनों के न मिलने के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के पास निम्न प्रक्रिया पर सहमत हो जाने के लिये एक प्रस्ताव भेजा है, जिससे अब भारत में रहने वाले पूर्वी बंगाल सरकार के विस्थापित निवृत्ति-वेतन-भोगियों को निवृत्ति-वेतन मिलता रहे :—

(१) दावेदारों को सामान्य नियमों के अनुसार वर्ष में एक बार निवृत्ति-वेतन-दाता अधिकारी के समक्ष संदेह उपस्थित होना चाहिये।

(२) इसके अधीन रहते हुये एतदर्थ विहित प्रपत्र पर किये गये मासिक आवेदन के आधार पर भारत स्थित निवृत्ति-वेतन-भोगियों के पास निवृत्ति-वेतन मनीआर्डर द्वारा प्रतिमास भेज दिया जाना चाहिये।

(३) एक ऐसे निवृत्ति-वेतन-भोगी के सम्बन्ध में, जो रुग्णता या किसी दूसरी अयोग्यता के कारण

सामान्य नियमों के अनुसार सदेह उपस्थित होने में असमर्थ है, उसे पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रतिनिधि के सम्मुख उपस्थित होने और उससे जीवित होने का प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति होनी चाहिये, जिसे व्यक्तिगत उपस्थिति के स्थान पर नियमित माना जाय।

(ख) भारत सरकार को शिकायतें मिली हैं कि पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति प्रव्रजन के बाद उस प्रांत से अपना निवृत्ति-वेतन प्राप्त नहीं कर सके। भारत सरकार ने यह प्रस्ताव पूर्वी बंगाल के निवृत्ति-वेतन-भोगियों की कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से रखा है। पाकिस्तान सरकार की तत्संबंधी प्रतिक्रिया की अभी प्रतीक्षा है।

पाकिस्तान से भारत को इच्छुक प्रव्रजनकर्त्ता

*५६९. **श्री मेघनाद साहा :** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत आने की इच्छा से पाकिस्तान के सीमा स्टेशनों पर इकट्ठे हुए व्यक्तियों की संख्या, जो इसी बीच पारपत्र प्रणाली के लागू होने की तिथि के आ पड़ने के कारण भारत आ नहीं सके ; तथा

(ख) इन व्यक्तियों का क्या हुआ ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख)। पारपत्र प्रणाली के लागू होने से पहले प्रव्रजन करने के इच्छुक अधिकांश व्यक्ति पहले ही चले आये। पाकिस्तान के सीमा स्टेशनों में बहुत थोड़े से व्यक्ति रह गये थे और उन में से कुछ बाद में भारतीय कूटनीतिक नियोजनों से प्रव्रजन-प्रमाणपत्र लेकर चले आए। भारत सरकार ने निदेश निकाल दिये हैं कि पाकिस्तानी चौकियों को पार कर ३१ अक्टूबर तक भारतीय सीमा पर आ जाने वाले प्रव्रजनकर्त्ताओं को यात्रा सम्बन्धी कागज बिना दिखाय ही आने दिया जाय।

घड़ियां (आयात)

*५७०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में भारत में आयात की गई सब प्रकार की घड़ियों का कुल मूल्य क्या था ;

(ख) उन देशों के नाम जहां से इन का आयात किया गया और प्रत्येक से सम्बन्धित राशि;

(ग) प्रति वर्ष इन के आयात से वसूल किये गये सीमा-शुल्कों की कुल राशि ;

(घ) क्या इस देश में पुरजों को बनाने वाली और घड़ियों को जोड़ने वाली कोई कंपनियां हैं और यदि हैं, तो उनके नाम और स्थान ;

(ङ) १९५०-५१ और १९५१-५२ वर्षों में इन कंपनियों का कुल निकास; तथा

(च) क्या सरकार इस क्षेत्र में निजी उपक्रमों को कुछ प्रोत्साहन देना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है। (देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३)।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन पटल पर रखी जायेगी।

(घ) नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) ठोस योजना ले कर सामने आने पर निजी उद्योगों की सरकार पूरी सहायता करेगी।

मैसूर में सिंचाई कार्य

*५७१. **श्री बासप्पा:** क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मैसूर राज्य के बड़े बड़े सिंचाई कार्य, जिनके लिये केन्द्र ने अनुदान या ऋण दिये हैं और यदि दिये हैं तो दी गई राशि; तथा

(ख) मैसूर राज्य में इन बड़े बड़े सिंचाई कार्यों द्वारा कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी और उन पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) अब तक मैसूर के बड़े-बड़े सिंचाई कार्यों के लिये केंद्र से ऋण या अनदान के रूप में कोई सहायता नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी फर्मों के यूरोपियन कर्मचारियों के धन-प्रेषण

*५७२. **श्री टी० के० चौधरी:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत की विदेशी फर्मों के यूरोपियन कर्मचारियों को दी गई धन-प्रेषण सुविधाओं के कारण विदेशी विनिमय का कितना निकास हो जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): भारत के रक्षित बैंक द्वारा ऐसी धन-प्रेषण सुविधायें पृथक नहीं दी जातीं।

भ्राजांगीयिज निक्षेप (विदोहन)

*५७३. **श्री एस० वी० रामस्वामी:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को एक भारतीय फर्म और एक जापानी फर्म के बीच मद्रास राज्य के सेलम जिले में भ्राजांगीयिज के (मैग्नेसाइट) निक्षेपों के विदोहन के सम्बन्ध में हुए करार की शर्तों का ज्ञान है ;

(ख) यदि है तो क्या वे शर्तें उसके द्वारा स्वीकृत की गई थीं ; तथा

(ग) क्या सरकार उक्त कार्य में कुछ वित्तीय सहायता देना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

सरकारी गृह निर्माण कारखाने के निर्माण

*५७४. **श्री तेलकीकर :** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकारी गृहनिर्माण कारखाना, नई दिल्ली में आज कल बनने वाले पदार्थ; तथा

(ख) क्या वे पदार्थ जनता को प्राप्य हैं, अथवा वे केवल सरकारी इमारतों के ही लिये अभिप्रेत हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) कारखाने को चलाने के लिये एक निजी संयुक्त कंपनी बनाई जा रही है और आशा है कि उत्पादन कार्य १९५३ के प्रारंभ में फिर शुरू हो जायेगा। कारखाना मुख्यत छतों के लिये फेन-कंकरीट के टुकड़े, दबाई हुई

कंकरीट और प्रमाषी आकारों वाले लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां आदि का निर्माण करेगा। कारखाना फौलाद के जाल आदि का निर्माण भी हाथ में लेगा और बिजली से धातु जोड़ने (वेल्डिंग) की आधुनिक प्रक्रिया को काम में लायेगा जिस से फौलाद की खपत काफ़ी कम हो जायेगी।

(ख) कारखाने के उत्पादन जनता के हेतु बिक्री के लिये और सरकारी विभागों दोनों के ही लिये उपलब्ध रहेंगे।

केन्द्रीय कार्यक्रम-परामर्शदात्री समिति की बैठक

*५७५. **श्री सी० आर० चौधरी:** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्रीय कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई थी?

(ख) इस में कौन कौन उपस्थित था, और क्या सरकार समिति की कार्यवाहियों की एक रिपोर्ट सदन पटल पर रखना चाहती है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की एक सूची और समिति में रखे गये कुछ सुझावों को बताने वाला एक प्रेस नोट सदन पटल पर रखा जाता है। (**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४**)। टिप्पणों के अंतिम रूप में तैयार हो जाने के बाद समिति की सिफारिशें उपलब्ध हो जायेंगी।

कपास (आयात)

*५७६. **श्री तुलसीदास:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ की पहली छमाही में भारत में आयात की गई कपास की कुल मात्रा क्या है?

(ख) इनमें से सं० रा० अमरीका से प्राप्त हुई कितनी गांठें नुकसानी हालत में मिली थीं?

(ग) इस सौदे से भारतीय बीमा कंपनियों को हुए घाटे को, यदि कुछ हुआ हो तो, बचाने के लिये तथा भारतीय आयात-व्यापार में नुकसानी माल के आने के खतरे को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या पग उठाए गये हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) प्रत्येक ४०० पौंड वाली ८,७१,२२८ गांठें।

(ख) लगभग दो लाख गांठों में कुछ अंश नुकसानी मिले थे।

(ग) सरकार को पता चला है कि सम्बन्धित अधिकांश बीमा कंपनियों ने अपने वादों को पूरा-पूरा निभाने का तथा भुगतान की बात स्वयं अमरीकी जहाजी कंपनियों के साथ करने का निश्चय किया है। इस मामले को अमरीकी सरकार के पास भी ले जाया गया था और आशा है कि व्यक्तिगत आयातक और या बीमा कंपनियां क्रय-संविदा में विहित सामान्य पंच-निर्णय न्यायालयों द्वारा पर्याप्त हानिपूर्त्ति प्राप्त कर लेंगे।

नैपाल से अन्न का आयात

*५७७. **श्री बी० एन० राय:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नैपाल राज्यसीमा में खेती वाले भारतीय नागरिकों द्वारा नैपाल से अन्न का आयात किये जाने के सम्बन्ध में नैपाल सरकार से हुई बात चीत के प्रतिफल क्या हैं?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): नैपाल सरकार ने कहा है कि नैपाल स्थित भारतीय नागरिक खाद्य के ले जाने सम्बन्धी स्थानीय नियमों और नियमनों

के अधीन रहते हुए अपनी जमीन की उपज नैपाल से भारत ला सकते हैं।

इन नियमों और नियमनों के बारे में सूचना मांगी गई है।

सांभर नमक

*५७९. **श्री बलवन्त सिन्हा मेहता :** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सांभर नमक के वितरण के सम्बन्ध में चलाई गई नामनिर्देशन प्रणाली के फल-स्वरूप खपत वाले बाज़ारों में फुटकर भावों में कुछ कमी आ गई है।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : नहीं। नामनिर्देशन प्रणाली के शुरू होने से पहले पंजीबद्ध व्यापारियों को दिये जाने वाले कमीशन की दर एक आना प्रति मन ही थी और इसलिये इस के समाप्त हो जाने से खपत वाले बाजारों में प्रति सेर के फुटकर भावों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता।

नमक का वितरण

*५८०. **श्री बलवन्त सिन्हा मेहता :** (क) क्या उत्पादन मंत्री सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें १ जनवरी, १९५२ को नमक के विद्यमान स्कंध, १९५२ वर्ष में उत्पादन और विभिन्न जिलों को भेजा गया और भेजा जाने वाला माल, और सरकारी और निजी प्रबंध में पृथक पृथक विभिन्न नमक स्रोतों में ३१ दिसम्बर, १९५२ को उपलब्ध प्राक्कलित स्कंध-मनों और प्रतिशतक दोनों में बताए गये हों?

(ख) क्या यह सच है कि इस बात पर ध्यान दिये बिना ही कि सम्बन्धित राज्य में कोई संविहित नियंत्रण है अथवा नहीं, सरकारी प्रबंध वाले स्रोतों में बनने वाले सच्चे को राज्य के नामनिर्देशित व्यक्ति को आवश्य ही दे दिया जाता है?

(ग) क्या यह सच है कि निजी प्रबंध में बने नमक को जिलों के नामनिर्देशित व्यक्तियों के पास तभी भेजा जाता है, जब राज्यों में संविहित नियंत्रण हो, अन्यथा वितरण सामान्य व्यापारिक रीति पर ही किया जाता है?

(घ) निजी नमक उत्पादन का कितना प्रतिशतक ज़िलों के नामनिर्देशित व्यक्तियों के पास जाता है और कितना सामान्य व्यापारिक प्रणाली द्वारा भेजा जाता है?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५**]

(ख) नहीं।

(ग) हां।

(घ) निजी कारखानों द्वारा बनाए गये नमक का २५ प्रतिशत जिलों के नामनिर्देशित व्यक्तियों के पास और शेष सामान्य व्यापारिक प्रणालियों द्वारा भेजा जाता है।

पश्चिमी बंगाल का जूट

*५८१. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पश्चिमी बंगाल के जूट-उत्पादक लोग, उनको मिलने वाले अत्यंत कम और बचतहीन दामों की दृष्टि में, जूट के न्यूनतम दाम निश्चित किये जाने की मांग कर रहे हैं; तथा

(ख) यदि विदित है, तो क्या सरकार ने न्यूनतम दाम निश्चित करने के लिये कोई पग उठाये हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अभिसमय

*५८२. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५१ से अक्टूबर, १९५२ तक के समय में व्यापार सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और अभिसमयों में में भाग लेने के लिये भारत सरकार को कितने आमंत्रण मिले थे ?

(ख) ऐसे कितने सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ?

(ग) क्या भारतीय व्यापार में वृद्धि करने के लिये इन प्रतिनिधियों ने सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : से (ग) तक वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६]**

पाकिस्तान के साथ व्यापारिक करार

१८५. **श्री नानादास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित नवीनतम व्यापारिक करार की शर्तें; तथा

(ख) इन सौदों के लिये निश्चित की गई विनिमय-दर ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान करार के पाठ की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) दरें नीचे दी जा रही हैं :

(१) भारत के रक्षित बैंक द्वारा क्रय तथा विक्रय की दरें

क्रय दर : रु० ६९-८-३ पाकिस्तानी, भारतीय १०० रुपयों के लिये।

विक्रय दर : रु० ६९-६-६ पाकिस्तानी, भारतीय १०० रुपयों के लिये।

(२) पाकिस्तानी राज्य बैंक द्वारा क्रय तथा विक्रय की दरें :

क्रय दर : रु० १४४-०-९ भारतीय, पाकिस्तानी १०० रुपयों के लिये।

विक्रय दर : रु० १४३-१३-३ भारतीय, पाकिस्तानी १०० रुपयों के लिये।

भारतीय व्यापार की उन्नति

१८६. **श्री तेलकीकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वे देश, जहां भारतीय व्यापार की उन्नति और व्यापारिक प्रचार का कार्य किया जा रहा है; तथा

(ख) १९४७ और १९५२ वर्षों में प्रकाशित प्रकाशनों के नाम और उनकी श्रेणियां ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख)। मैं वांछित सूचना देने वाले दो विवरण सदन पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २७]**

चाय के दाम

१८७. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५० और १९५१ वर्षों में चाय के भाव क्या थे और १९५२ के उत्तरार्द्ध में अब उसके भाव क्या हैं ?

(ख) क्या चाय के भावों की यह कमी अत्यधिक उत्पादन के कारण है या बाजारों की कमी के कारण, और यदि इन दोनों कारणों से है, तो कितना प्रतिशतक पहले के कारण

है और कितना दूसरे के, या भावों की यह कमी किन्हीं दूसरे कारणों से है ?

(ग) १९५० और १९५१ वर्षों में उत्पादित चाय की कुल मात्रा क्या थी और १९५२ में उत्पादित मात्रा क्या है ?

(घ) १९५०, १९५१ और १९५२ वर्षों में चाय वाला क्षेत्र कितना था ?

(ङ) १९५०, १९५१ और १९५२ वर्षों में निर्यात की मात्रा कितनी थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क), (घ) तथा (ङ)। चाय के दाम, चाय वाला क्षेत्र और निर्यात की मात्रा बताने वाले विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८]**

(ख) चाय के भाव के गिरने के मुख्य दो कारण हैं। एक तो न केवल भारत में बल्कि चाय पैदा करने वाले लंका, इंडोनिशिया और पूर्वी अफ्रीका आदि अन्य देशों में भी युद्धोत्तर वर्षों में चाय की बढ़ी हुई उपज है। इस कारण दुनियां में चाय का संभरण वर्तमान मांग की अपेक्षा प्राक्कलित रूप में ६४० से १००० लाख पौंड तक अधिक हो गया है। दूसरा कारण इंगलैंड द्वारा चाय की थोक खरीद बन्द हो जाना और लंदन नीलाम का फिर चालू हो जाना है। नीलाम प्रक्रिया में चुनी हुई चाय की खरीद अंतर्निहित रहने के कारण मध्यम तथा निम्न प्रकार की चायों के दाम गिर गये हैं।

(ग) १९५० में चाय की कुल उपज ६१२९ लाख पौंड और १९५१ में ६२२२ लाख पौंड थी। १९५२ की उपज का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

सरकारी उपक्रम

१८८. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें (१) १५ अगस्त १९४७ से पहले मंजूर किये गये और शुरू किये गये सरकारी उपक्रमों के नाम, और (२) १५ अगस्त १९४७ के बाद आज तक मंजूर हुए और शुरू किये गये सरकारी उपक्रमों के नाम बताये गये हों ?

(ख) इन में से कौन कौन उपक्रम बंद कर दिये गये और प्रत्येक के बंद होने के कारण क्या थे ?

(ग) उन में से अब कौन कौन सार्वजनिक लिमिटेड या निजी लिमिटेड कंपनियों में बदल दिये गये हैं ?

(घ) विधान उपक्रमों में प्रत्येक मामले में वर्तमान विनियोजन की स्थिति क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) से (घ) तक अनुमानतः मेरे माननीय मित्र का अभिप्राय व्यापारिक उपक्रमों से है, जिसमें केंद्रीय सरकार के काफ़ी अंश हैं। इनकी सूची देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९]**

मोटर गाड़ियां (आयात)

१८९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०-५१ और १९५१-५२ वर्षों में (१) बौडी के साथ और (२) चैसिस के रूप म आयात की गईं मोटर कारों, मोटर लारियों और बसों की संख्या;

(ख) इसी समय में भारत में (१) बनी और या (२) जोड़ी गईं ऐसी मोटर-गाड़ियों की संख्या;

(ग) भारत में मोटर के कौन कौन से पुरज़े बनते हैं और उनकी लगभग मात्रा; तथा

(घ) स्थानीय रूप में बनने वाले पुरज़ों के आयात पर सरकार कितना प्रतिबन्ध लगाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) आंकड़े यों हैं :

	१९५०-५१	१९५१-५२
मोटर कारें (टैक्सियों समेत), मोटर बसें, मोटर गाड़ियां और लारियां	८३४९	९९५७
(१) बोडी के साथ	७२३	७८
(२) चैसिस के साथ	४०८४	४६३४

(ख) पूरी पूरी मोटर गाड़ियां अभी भारत में नहीं बनतीं। जोड़ी जाने वाली गाड़ियों के आंकड़े यह हैं :

	१९५०-५१	१९५१-५२
मोटर कारें	७९१७	१२,९९२
व्यापारिक गाड़ियां	८६०२	१०,५८४

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या ३०**]

(घ) टायर, ट्यूब, बैटरियां, पंखों की पट्टियां आदि जो पुरजे भारतीय आवश्यकता को पूरा करने लायक काफी मात्रा में बनाये जाते हैं, उनका आयात नहीं होने दिया जाता।

चांदनी कागज मिल के कर्मचारी

१९०. श्री ईश्वर रेड्डी : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चांदनी कागज मिल में कितने कर्मचारी काम करेंगे और उन के लिये किन किन सुविधाओं का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

(ख) उनमें क्रमशः कितने व्यक्ति अप्रवीण, अर्द्धप्रवीण और प्रविधिज्ञ होंगे और उनके वेतन क्या होंगे ?

(ग) यदि कोई विदेशी प्रविधि भी होंगे यदि हां तो उनके वेतन क्या होंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग) तक। मिल चालू होने के बाद लगाये जाने वाले विविध श्रेणियों के कर्मचारियों और उनके वेतनों के विवरण अभी तैयार नहीं हुए हैं। मिल अपने कर्मचारियों को मकान तथा अन्य सुविधायें देना चाहता है।

क्येनाइट

१९१. श्री ईश्वर रेड्डी : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष भारत में पैदा होने वाले क्येनाइट की मात्रा क्या है ?

(ख) मद्रास राज्य में पैदा की गई कुल मात्रा क्या है ?

(ग) इसमें से कितना भारत में काम में लाया जाता है और किन कामों में ?

(घ) इसमें से कितने का निर्यात होता है, किन देशों को और किन कामों के लिये ?

(ङ) हमारे निर्यात का मूल्य क्या है और इस निर्यात पर हमारी सीमा शुल्क सम्बन्धी आय क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख)। वांछित सूचना नीचे दी जाती है :—

	क्येनाइट का उत्पादन	
वर्ष	भारत	मद्रास
	टनों में	टनों में
१९५०	३५,४८८	१४
१९५१	४२,३०१	४४६

(ग) लगभग ४००० टन। यह भट्टियों में लगने वाली स्फाटय पर्तों में काम आता है।

(घ) तथा (ङ)। वांछित सूचना नीचे दी जाती है :—

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (रुपयों में)	सीमा-शुल्क की आय*
१९५०	३२,४९६	४९,३९,७३८	कुछ नहीं
१९५१	२५,१७६	५१,०६,१७६	कुछ नहीं

*क्येनाइट के अयस्क पर निर्यात-शुल्क नहीं लगती।]

जिन देशों को निर्यात हुआ था, वे ये हैं :— सं० रा० अमरीका, इंगलैंड, पश्चिमी जर्मनी, ज़ापान, बेलजियम, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड्स और स्वीडन। इस अयस्क का धातुकार्मिक आकाचन, कांच चीनी मिट्टी, रासायनिक, विद्युत सम्बन्धी तथा सीमेंट उद्योगों में पत्तों के रूप में प्रयोग किया जाता है।

सूती कटपीस (निर्यात)

१९२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सूती कटपीसों का बर्मा, लंका, और सिंगापुर के लिये १९४७ से १९५१ (वर्ष प्रति वर्ष) तक प्रत्येक वर्ष में निर्यात किया गया था और उसका मूल्य क्या था;

(ख) कितना निर्यातित माल स्थानीय कपास से बना था और कितना आयातित कपास से;

(ग) इस माल के तैयार करने में प्रयुक्त कपास के प्रकार और प्रतिशतक; तथा

(घ) निर्यात घटने के कारण ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ख) तथा (ग). सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) १९५१-५२ में निर्यात संबन्धी कभी आंतरिक संभरण स्थिति की दृष्टि में उस वर्ष वस्त्र-निर्यात पर लगाई गई रोक के कारण हुई थी।

भंडारों तथा उपकरणों के लिये वस्तु मगाना

१९३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विविध मंत्रालयों या विभागों और सार्वजनिक संस्थाओं के लिये आवश्यक भंडार पदार्थ और उपकरण मंगाने के लिये, चाहे यह माल संभरण के स्थानीय स्रोतों से मंगाये गये हों या विदेशों से, और उन मालों के नियंत्रण, अधीक्षण और इस संगठन के प्रभारी पदाधिकारी के अनुशासन के लिये प्रबन्ध किये गये हैं या क्या संघठन बनाये गये हैं ?

(ख) क्या विगत पांच वर्ष में इन भंडारों, पदार्थों और उपकरणों में माल को प्राप्त करने और संभालने के लिये नियुक्त किये गये कर्मचारियों की दंडनीय असावधानी के कारण कोई चोरी या नुकसान पाया गया है या लोक लेखा समिति द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट की गई है या मंगाये गये माल और आये हुए भंडारों, पदार्थों और उपकरणों में कुछ असमानता पाई गई है; तथा

(ग) यदि हां, तो इन मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बूरागोहिन) : (क) भारत

तथा विदेश से भी माल मंगाने के निम्न तीन संगठन चल रहे हैं :—

(१) महासंचालक, रसद तथा उत्सजन, नई दिल्ली; तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रादेशिक संचालक ।

यह संगठन स्थानीय रूप में बने माल के समाहार का और यदि आवश्यक हो तो भारतीय आयातकों के द्वारा आयातित माल का भी प्रबन्ध करता है ।

(२) भारतीय स्टोर्स विभाग, लंदन ।

यह संगठन इंगलैंड तथा यूरोप महाद्वीप से माल के खरीदने का प्रबन्ध करता है ।

(३) भारतीय रसद नियोजन, वाशिंगटन ।

यह संस्थापन सं० रा० अमरीका तथा अमरीका महाद्वीप में उपलब्ध माल की खरीद करता है ।

इन संस्थापनों के प्रधान निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय के प्रशासनीय तथा पर्यवेक्षी नियंत्रण में हैं ।

२००० रुपये से अधिक मूल्य के माल मंगाने पर केन्द्रीय सरकार के सब विभागों को अपनी मांग महासंचालक, रसद तथा उत्सर्जन, नई दिल्ली के समक्ष रखनी होती है । इससे कम मूल्य के माल का प्रबन्ध मंगाने वालों द्वारा स्थानीय रूप से कर लिया जाता है । राज्य सरकारों और सार्वजनिक संस्थाओं आदि के लिये यह अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं कि वे अपने लिये आवश्यक माल केन्द्रीय-क्रम संगठनों के द्वारा मंगवायें । फिर भी उनको ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ।

व्यादेश मिलने पर महासंचालक (रसद तथा उत्सर्जन) भारत में समाहार का प्रबन्ध करते हैं । जब वांछित माल भारत में उपलब्ध नहीं होता या बचतपूर्वक उपलब्ध नहीं हो सकता, तो महासंचालक (रसद तथा उत्सर्जन) भारतीय स्टोर्स विभाग, लंदन, या भारतीय रसद नियोजन, वाशिंगटन के पास यथावश्यक समाहार के लिये उनकी मांग को प्रेषित कर देते हैं ।

(ख) खरीदे गये माल को प्राप्त करना और उस संभालना मंगाने वाले विभाग का कार्य है । क्रय संगठन केवल आवश्यक माल का व्यादेश ही देते हैं और भेजने वालों द्वारा मंगाने वालों द्वारा निश्चित किये गये व्यक्ति के पास माल सीधे सीधे भेज दिया जाता है । खरीदे गये माल को प्राप्त करने या संभालने में इस मंत्रालय के अधीन कर्मचारियों की दंडनीय असावधानी के कारण हुए चोरी या टूटने फूटने सम्बन्धी नुकसान का तो प्रश्न ही नहीं उठता; न मंगाये गये माल और आये हुए भंडारों, पदार्थों और उपकरणों के बीच ऐसी किसी असमानता का ही कोई प्रश्न है, जिसके लिये ये कर्मचारी उत्तरदायी हों ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पैट्रोल और उसके उत्पादन

१९४. सरदार हुक्म सिंह : क्या निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत को पैट्रोल और डिजिल तेल जैसे विमान-ईंधनों तथा पैट्रोल के अन्य उत्पादनों का संभरण करने वाले प्रमुख स्रोत, और ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले विगत पांच वर्षों में इन विभिन्न पदार्थों की कितनी मूल्य की कितनी मात्रा का आयात किया गया था;

(ख) ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले विगत पांच वर्षों में, प्रत्येक में, देश में पैदा किये गये पेट्रोल की मात्रा और मूल्य;

(ग) क्या इस देश में पैट्रोल और पैट्रोल के उत्पादनों के नये स्रोत ढूंढने के लिये कुछ परिमाप किये गये हैं, और यदि किये गये हैं, तो परिणाम क्या हुआ; तथा

(घ) ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले विगत पांच वर्षों में इन सामानों की भारत में सरकारी और निजी खपत ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२]

(ख) इस जानकारी को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

(ग) हां, पर अभी तक परिणाम असंतोष-प्रद ही रहा।

(घ) इस जानकारी को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

सरकारी विज्ञापन

१९५. श्री आर० एन० सिंह: क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला तथा अन्य भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापनों पर कितना-कितना धन व्यय हुआ ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): एक विवरण, जिसमें इस मंत्रालय द्वारा निकाले गए दिखावे वाले विज्ञापनों सम्बन्धी वांछित सूचना दी गई है सदन-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३]

सीमेंट आयात

१९६. कुमारी आनी मस्करीन: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ से आज तक भारत में कितने टन सीमेंट का आयात किया गया है;

(ख) आयात कहां से किया गया है और किस काम के लिए;

(ग) ऐसा आयातित सीमेंट किस प्रकार का है; तथा

(घ) ऐसे आयात की कुछ शर्तें हैं, यदि हैं, तो क्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १८८६ टन।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान से; आसाम में खपत के लिए।

(ग) जहां तक सरकार को विदित है, यह सीमेंट साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के भारतीय प्रमाप निर्देश के समक्ष ही है।

(घ) कोई विशेष शर्त नहीं है।

रेशम कृमि-पालन अनुसन्धान

११७. श्री तेलकीकर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वह स्थान जहां रेशम कृमि-पालन अनुसंधान केंद्र स्थित है;

(ख) अब तक इसके द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य; तथा

(ग) इस अनुसंधान-कार्य के फलस्वरूप रेशम-कृमि-पालन में हुए लाभ, विकास और प्रगति ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) केंद्रीय रेशम कृमि-पालन-अनुसंधान-केंद्र पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बरहामपुर

में स्थित है। इसका एक उपकेंद्र भी है, जो दार्जिलिंग ज़िले के कालिमपोंग में स्थित है।

(ख) केंद्र ने रेशम पैदा करने वाले विभिन्न देशों से और भारतसंघ के रेशम पैदा करने वाले भागों से कई जातियों के रेशम वाले कीड़े एकत्र किए और निम्न बातों की दृष्टि से उन पर प्रयोग किए :

(१) देश के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में पालन के उपयुक्त जातियों को प्राप्त करना।

(२) रेशम की उपज, उसके तंतुओं की लंबाई, निषेधकों आदि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(३) उत्पादन-लागत कम से कम करना और रेशम के प्रकार में सुधार करना आदि।

निम्न दृष्टि से भी प्रयोग किए गये :

(१) शहतूत की फ़सलों के उगाने के वैज्ञानिक तरीकों को खोजना और उनको संक्रामक बीमारियों से बचाना तथा उनके लिए उपयुक्त प्रकार की खाद का प्रयोग करना आदि।

(२) रेशम के कीड़ों की ग्रैसरी, फ्लैशरी आदि बीमारियों को खोजना, उनका निदान तथा उनकी चिकित्सा करना।

(३) छांटने के लिए वर्ष में सर्वश्रेष्ठ समय, और पेड़ों के लिए आवश्यक छंटाइयों की संख्या निश्चित करना तथा बीजों के भंडार में रखने के सर्वश्रेष्ठ उपाय का अध्ययन करना।

(ग) निरंतर अनुसंधान और प्रयोग के द्वारा केंद्र ने रेशम के कीड़ों की नई जातियों की स्थापना की है, जिनसे कि कीड़ों की स्थानीय विद्यमान जातियों से होने वाली मध्यमानत : १.२ निषेधक और १४यू (माइक्रोन) मोटाई वाले २००–३२५ गज़ रेशम तंतुओं की उपज के स्थान पर २.१ निषेधक और २३.८यू (माईक्रोन) मोटाई वाले ६१५ गज़ रेशम तंतुओं की उपज होती है। संख्या बढ़ाने के लिए इन जातियों का कृमिपालकों के बीच वितरण कर दिया गया है और उस से अपेक्षतया अच्छे रेशमी धागे की उपज बढ़ गई है। शहतूत की फसलों की नए तथा वैज्ञानिक उपायों से खेती और उनको शहतूत की बीमारियों से सुरक्षित रखना, कीड़ों का पालन और उनको संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखना आदि के संबंध में रेशम-कृमिपालन उद्योग को केंद्रीय रेशम कृमिपालन अनुसंधान केन्द्र द्वारा दिए गए निःशुल्क परामर्श से भी उक्त उद्योग को लाभ पहुंचा है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में रेशम-कृमिपालन को प्रोत्साहित करने के लिए चाव लेने वाले लोगों को शहतूत के बीज और पौधे भी दिए गए थे।

टाइपराइटर के कारखाने

१९८. **श्री तुलसी दास :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में टाइपरायटर बनाने के लिए किसी कारखाने की स्थापना के लिए कोई अनुज्ञापत्र दिया गया है ?

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो कितने लोगों को अनुज्ञापत्र दिए गए हैं और उनमें से कितने भारतीय हैं और कितने विदेशी ?

(ग) प्रस्तावित कारखानों में प्रत्येक का पूंजीसंबंधी ढांचा क्या है ?

(घ) प्रत्येक उपक्रम का प्रस्तावित उत्पादन और कुल उत्पादन कितना है ?

(ङ) भारत में टाइपरायटरों की मांग अनुमानतः कितनी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारत में टाइपरायटर बनाने के लिए दो फ़र्मों को अनुमति दी गई है।

(ख) से (घ) तक. एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३४**]

(ङ) २८००० प्रति वर्ष

आदिवासियों की मांगें

१९९. श्री डामर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके मध्य भारत आगमन पर मांडू के आदिवासियों द्वारा भेंट किए गए स्मृतिपत्र में की गई बारह मांगों से वे कहां तक सहमत हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां कहीं भी मैं जाता हूं, मुझे अनेकों अभ्यावेदन मिलते हैं और मैं उनको तत्काल वह उत्तर दे देता हूं, जो मैं दे सकता हूं। मुझे याद है कि मांडू में भीलों ने मुझे एक अभिनंदन दिया था, जिसका मैंने उनके द्वारा बताई गई बहुत सी बातों से सहमत होते हुए उत्तर दिया था और यह भी बता दिया था कि शेष संभव नहीं है, या उन में समय लगेगा। मुझे किन्हीं बारह मांगों या वस्तुत: किसी भी मांग की याद नहीं है। प्रश्न कर्त्ता माननीय सदस्य ने मेरी स्मृति को ताजा करने के लिये उक्त अभिनंदन की, जिसके वह स्वयं एक हस्ताक्षरक हैं, एक प्रति मेरे पास भेजकर बड़ी कृपा की है। इस में कोई मांग नहीं है, बल्कि कुछ शिकायतें बताई गई हैं और कुछ निवेदन किए गए हैं। एक प्रश्न के उत्तर में मैं इन सारे विषयों के ब्यौरे को नहीं ले सकता ; बस यही कह सकता हूं कि सरकार शिक्षा, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में भीलों या आदिवासियों की हर प्रकार से सहायता के लिए उत्सुक है।

एडिनबरा फिल्म-पर्व में भारतीय फिल्में

२००. सरदार हुकम सिंह : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १७ अगस्त, १९५२ को शुरू होने वाले एडिनबरा फ़िल्म-पर्व में क्या भारत पर कोई फ़िल्म दिखाई गई थी ?

(ख) यदि हां, तो वे फ़िल्में क्या क्या थीं ?

(ग) उनमें से कितनी भारत सरकार के फ़िल्म डिवीजन द्वारा बनाई गई थीं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) "विस्मृत साम्राज्य" तथा "मध्य भारतमाला"।

(ग) दोनों फ़िल्म डिवीजन द्वारा बनाई गई लेख्यात्मक फ़िल्में हैं।

सत्यमेव जयते

शुक्रवार,
२१ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13·3·12
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार २१ नवम्बर १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

११-४५ म० पू०

कोरिया की परिस्थिति के बारे में वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय प्रधान मंत्री कोई वक्तव्य देना चाहते थे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान, क्या मुझे ऐसे विषय के बारे में कुछ शब्द कहने की अनुमति मिलेगी जो कि सदन की कार्य सूची में नहीं है परन्तु जो इस सदन के सदस्यों का, देशवासियों का, तथैव संसार के बहुत बड़ हिस्से का ध्यान आकर्षित कर रहा है ? इस समय संयुक्त राष्ट्र संगठन में संसार की शांन्ति पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा हो रही है । शांति-कार्य में सहायता

देने की भारतीय नीति के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संगठन में हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है उसने हमारी सम्पूर्ण सहमति से, कोरिया की परिस्थिति के बारे में एक प्रस्ताव पेश किया है । इस प्रस्ताव द्वारा हम ने समझौते के मार्ग में आज तक जो रुकावटें पैदा हुई थीं उनसे बाहर निकलने का सम्माननीय तरीका सुझाने की भरसक कोशिश की है । इस प्रस्ताव से सारे मामलों का निबटारा नहीं होता । हमें आशा है कि यह उचित दिशा में एक एक कदम है जो यदि उसी भावना से रखा जाय जिस भावना से प्रेरित हो कर हम ने वह सुझाया है, तो मानव जाति के सिर पर पड़ा हुआ भयंकर बोझ हल्का हो जायगा । हम ने अत्यन्त विनय के साथ यह सुझाव रखा है और मुझ संतोष है कि न्यूयार्क में समवेत हुए प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने उसका सस्नेह स्वागत किया है ।

राष्ट्र के तथा कभी कभी संसार के जीवन में ऐसा क्षण आ जाता है जब कि किसी संभाव्य निर्णय पर भविष्य निर्भर होता है । वैसा क्षण अभी आया है और इस पेचीदी परिस्थिति में धैर्य तथा निश्चय के साथ इस अवसर से लाभ उठा कर जिस महान उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन की नीव डाली गई है उस की पूर्ति करने की जिम्मेवारी उस पर आ पड़ी है । संयुक्त राष्ट्र संगठन के घोषणापत्र में लिखे गए तेजस्वी शब्द

के बारेमें वक्तव्य

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हमारे कानों में गूंज रहे हैं और इन शब्दों की वजह से संसार भर के लोगों के दिलों में आशा की जो उमंगें खड़ी हुई थीं उनकी हमें याद आती है । तब से किसी दुर्भाग्य ने हमारा पीछा किया है हमारी सारी कोशिशों को व्यग्र कर दिया है और संसार शांति अनुभव करने के बजाय आज युद्ध की छाया से लड़ रहा है । भय, द्वेश तथा हिंसा अपना कुरूप चेहरा बारबार ऊपर उठाते हैं और पीड़ित मानव जाति इन सोचनीय घटनाओं की ओर असहाय ता से देखती रहती है । प्रकाश क्षीण हो गया है ।

फिर भी प्रकाश की थोड़ी थोड़ी झलक है जो हमें ग्रासने वाली छायाओं को हटा सकती है और इस झलक को जगमगा कर लोगों के मन में अपने उद्देश्य की स्मृति ताजी करने की जिम्मेवारी आज संयुक्त राष्ट्र संगठन पर है । इस संकट के समय, मैं उन राष्ट्रों से अन्तः करपूर्वक प्रार्थना करता हूं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संगठन की साधारण सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है तथा जिन्हें प्रतिनिधित्व न होते हुए भी जो इस समस्या से गहरा सम्बन्ध रखते हैं, कि वे अपने को संसार की जनता ने उन पर प्रकट किए हुए विश्वास के पात्र सिद्ध करें और संयुक्त प्रयत्न द्वारा युद्ध का भूत गाड़ कर संसार में शांति का ध्वज फहरायें । इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संगठन अपने आदर्शों तथा उद्देश्यों के प्रति प्रामाणिकता का प्रमाण दे सकता है । इसी प्रकार हमारी पीढ़ी अपने को निर्दोष साबित कर सकती है ।

मुझे विश्वास है कि इस विषय में सदन के सारे पक्षों के सारे सदस्यों की ही नहीं बल्कि हमारे देश के करोड़ों नागरिकों की भावना मेरे साथ है ।

संयुक्त राष्ट्र संगठन में हमारे प्रतिनिधिमण्डल के सिर पर भारी जिम्मेवारी है । मैं चाहता हूं कि यह सदन उन्हें प्रोत्साहन तथा सद्भावना का संदेश भेजें जिस से कि उन्होंने हाथ में लिए हुए कठिन कार्य को पूरा करने में उन्हें शान्ति पहुंचे ।

यह वक्तव्य देते समय मेरे मन में केवल व्याकुल आशा ही नहीं बल्कि व्यथित प्रार्थना भी है कि हमारी पीढ़ी हमारी परम्परा के शांति चाहने वाले असंख्य लोगों की उम्मीदों के तथा जिस भविष्य को हम निर्माण करना चाहते हैं उस के लायक साबित हो ।

सम्पदा शुल्क के विषय में वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : माननीय त्यागी कुछ थोड़ी दुरुस्ती करना चाहते थे ।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : सदन को स्मरण होगा कि जब श्री चिंतामण देशमुख सम्पदा शुल्क विधेयक प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे तब उन्होंने कहा था कि पश्चिमी बंगाल, त्रिवांकुर कोचीन तथा सौराष्ट्र इन तीन राज्यों ने विमति प्रकट की थी और खेती की जमीन पर सम्पदा शुल्क लागू करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को प्राधिकार देना अस्वीकार किया था । सौराष्ट्र के बारे में उन्होंने कहा था कि उस राज्य सरकार की राय में वहां की परिस्थिति इतनी नहीं सुधरी थी कि इस प्रकार का कराधान किया जाय । यह राय राज्य वित्त मंत्री के उस पत्र में प्रगट की गई थी जो उन्होंने मुझे १८ जुलाई १९५१ को लिखा था । तब से वित्त मंत्रालय को राज्य सरकार से

कोई सन्देश नहीं प्राप्त हुआ। श्री देशमुख द्वारा सदन में वक्तव्य दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने हमें सूचना दी कि उस के विचारों में परिवर्तन हो गया है, सम्पदा शुल्क के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और संविधान के अनुच्छेद २५२ के अधीन आवश्यक प्रस्ताव भी उन्होंने स्वीकृत कर लिया है जिस की प्रतिलिपियां राज्य मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय के पास भेज दी गई थी। लेकिन दिनांक १० नवम्बर तक ये प्रतिलिपियां वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को नहीं मिली थी जिस की वजह से श्री देशमुख को वक्तव्य देते समय नवीनतम परिस्थिति का पता नहीं था। ये प्रतिलिपियां वास्तव में दिनांक १२ नवम्बर को प्राप्त हुईं। इसलिये मैंने उचित समझा कि सदन को यथार्थ परिस्थिति से परिचित रखा जाए। सम्पदा शुल्क विधेयक से संलग्न अनुसूची में अब सौराष्ट्र का नाम समाविष्ट नहीं होगा।

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४, को अग्रेतर संशोधित करने के लिये तथा कुछ उच्च मूल्य की बैंक-नोटों के बारे में विशेष उपबन्ध करने के लिये एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ।

श्री एम० सी० शाह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

परिसीमन आयोग विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने की अवधि का विस्तार

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "लोक-सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में पुनर्समायोजन का उपबन्ध करने के तथा तत्सम्बन्धी मामलों के लिये निर्माण की गई प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये निश्चित की गई अवधि शुक्रवार दिनांक, २८ नवम्बर, १९५२ तक के लिये बढ़ा दीया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वायदे के सौदे (विनियमन) सम्बन्धी विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा दिनांक २० नवम्बर, १९५२ को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : मैं दिनांक २४ अप्रैल, १९५१, के संसदीय वाद विवादों से एक उद्धरण दे रहा हूं जिसमें श्री हरे कृष्ण महताब (जो उस समय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री थे) कहते हैं :

> "यदि यह सदन श्री टी० टी० कृष्णमाचारी सरीखे सदस्यों के, जो अपने आपको बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, मतों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा तो मुझे सचमच आश्चर्य होगा।"

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

आगे चल कर वे कहते हैं :

"मुझे विश्वास है कि वे अपने आपको इतने श्रेष्ठ समझते हैं कि अपने अज्ञान के बारे में वे अनभिज्ञ हैं ।"

इस विधेयक के दो पहलू हैं। माननीय मंत्री कहते हैं कि उन्होंने सभी हितसम्बधियों से परामर्श किया है। यह ठीक नहीं है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने 'महान्' भाषण में उन्होंने जिन 'निहित स्वार्थों' का उल्लेख किया है उन्हीं से परामर्श किया गया है। क्या माननीय मंत्री ने देश के किसानों तथा मज़दूरों से परामर्श किया है ? केवल भारतीय बाज़ारों में ही नहीं बल्कि शिकागो, न्यूयार्क, लन्दन, आदि विदेशी बाज़ारों में भी जो वायदे का व्यापार चलता है उसका जनता पर बुरा असर पड़ता है ।

मैं त्रिवांकुर-कोचीन का ही उदाहरण लूंगा जहां मैं बसता हूं । श्री कृष्णमाचारी भी इस राज्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं । वे हाल ही में वहां गए थे । मुझे सन्देह नहीं कि जिन जिन स्थानों में वे चायपार्टियों में शरीक हुए वहां के हित-सम्बन्धियों से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की । इस देश में तीव्र मंदी फैली हुई है। कीमतों का गिरना जारी है। इस संकट को देखते हुए, त्रिवांकुर-कोचीन विभिन्न पक्षों के सब सदस्यों ने माननीय वाणिज्य मंत्री की सेवा में एक संयुक्त ज्ञापन पेश किया जिसमें राज्य की उपज तथा उद्योग का संरक्षण करने की प्रार्थना की गई थी। माननीय मंत्री ने यह बतलाने का साहस प्रगट किया कि इस बारे में भारत सरकार कोई मदद नहीं कर सकती ।

श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने छोटे व्यापारियों से कोई परामर्श किया है। उन्होंने तो केवल बड़े बड़े स्वार्थों से परामर्श किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन के लाभ के लिए मैं यह बता दूं कि माननीय सभासद जानते हैं कि विधेयक कब पुरःस्थापित होता है ; कब प्रवर समिति को सौंपा जाता है तथा प्रवर समिति में उसकी चर्चा कब होती है । जिन किन्हीं सदस्यों को किसी विशिष्ट मामले में दिलचस्पी हो वे प्रवर समिति की बैठक में उपस्थित हो कर चर्चा में भाग ले सकते हैं यद्यपि उनको मत देने का अधिकार नहीं है। वे ज्ञापन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा चर्चा के मुद्दे दे सकते हैं । इस प्रकार जो सदस्य प्रवर समिति में नहीं हों वे भी समिति की सहायता कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : प्रवर समिति तब समवेत हुई जब सदन का सत्र जारी नहीं था ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, एक और भी बात है जिसका उल्लेख आपने नहीं किया । इस विशिष्ट मामले में प्रवर समिति में सदन का लगभग दसवां हिस्सा लिया गया था किन्तु उसमें हमारे पक्ष का केवल एक ही सदस्य था । सदस्यों का चुनाव सरकार द्वारा होता है । अब आप हमें बिना बुलावे के प्रवर समिति की बैठक में जा कर अपने सुझाव रखने के लिये कह रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो प्रत्येक माननीय सदस्य का स्वयंसिद्ध अधिकार है। जब प्रवर समिति की बैठक हो रही हो

तब कोई भी सदस्य वहां जा कर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

श्री वी० पी० नायर : धन्यवाद। भविष्य में मैं इससे लाभ उठाऊंगा।

श्री वलायुधन : (क्विलोन व मावेलिक्करा —रक्षित—अनुसूचित जातियां) : क्या उन्हें भत्ता मिलेगा ?

श्री वी० पी० नायर : मैं निवेदन कर रहा था कि युद्ध के पूर्व जिस काली मिर्च का भाव १२५ रु० प्रति खंडी (३३६ सेर) था उसका भाव सन् १९५० में ४००० रु० तक बढ़ गया। लेकिन इस मूल्य वृद्धि का फ़ायदा किसे मिला ? किसानों को नहीं बल्कि वायदा बाज़ार में तैरने वाले कुछ नक्रों को। निर्यात शुल्क तथा उगकर के रूप में सरकारी खज़ानों में भी बहुत धन जमा हुआ। यह व्यापार अत्यन्त हानिकारक है इसलिये कानून द्वारा इसको बन्द कर देना चाहिये।

धारा ५ तथा ६ के अधीन सरकार को कुछ संस्थाओं को मान्यता देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि इन अधिकारों का प्रभाव वास्तव में क्या होता है और खास कर जब सम्बन्धित व्यक्ति शेर की तरह लड़ सकते हैं जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वयं ही कहा है। बम्बई के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने मेरे प्रदेश में आकर इस व्यापार में प्रवेश किया है। बम्बई के कुछ व्यापारी संस्थाओं ने हमारे प्रदेश में नाम बदल कर व्यापार चालू कर दिया है। इन संस्थाओं की जड़ें कहीं भी हों, वे हमारी गरीब जनता का शोषण करती हैं अलेप्पी शहर की सारी मंडी इन संस्थाओं के हाथ में है वोल्कार्ट ब्रादर्स, पीयर्स लेस्ली तथा रास्पिनवाल जैसी विदेशी संस्थाएं भी इस में शामिल हैं। परिणाम यह होता है कि गरीब किसान तथा मज़दूरों को उनका न्याय्य हिस्सा नहीं मिलता।

वायदे के व्यापार का प्रभाव केवल किसानों तथा ग्राहकों पर ही नहीं बल्कि औद्योगिक मजदूरों पर भी पड़ता है। मैं माननीय मन्त्री को पूछता हूं कि नियोजित अर्थव्यवस्था में इस सट्टेबाजी का क्या स्थान है जिसे वायदे का व्यापार कहा जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य सभी प्रकार के वायदे के सौदों का विरोध करते हैं ? यदि कोई कारखानदार आवश्यक कच्चे माल की रसद निश्चित करने के लिए मौसम के अव्वल ही खरीदने का करार करना चाहे तो क्या माननीय सदस्य उसका विरोध करेंगे?

श्री वी० पी० नायर : कारखानों की रसद का आधार सहकारी विपणन होना चाहिए। यदि हम बुद्धिगानी से काम लें, तो यही एकमेव मार्ग होना चाहिए।

रूई का उदाहरण लीजिए। बम्बई, कलकत्ता तथा अहमदाबाद में दूरभाष के निकट बैठे बैठे कुछ लोग रूई का भाव बदलते रहते हैं। इनकी कार्यवाहियों से सूत का भाव बहुत तेज हो गया है। अतः मेरे प्रदेश में ९०,००० करघे बन्द पड़ गए हैं जिसके कारण लाखों लोग भूख रहते हैं। सरकार ने उनके लिए कुछ भी करने की अनिच्छा प्रगट की है। और अब एकाधिकारी पूंजीपतियों के धन्धों में संकट छा जाते ही सरकार इस अव्यवस्थित विधान को प्रस्तुत कर रही है।

माननीय मन्त्री ने बताया कि वायदे के सौदों पर बाज़ार की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण रहता है। वास्तव में बम्बई में बैठकर वायदे के सौदे करने वाले लोग बाज़ार की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करते हैं। विद्यमान वस्तुस्थिति को ध्यान में

[श्री वी० पी० नायर]

रखते हुए सदन को इस विधेयक का विरोध करना चाहिए।

वायदे के व्यापार तथा कच्चे माल पर उसके नियंत्रण के कारण उद्योगों का और परिणामतः औद्योगिक मजदूरों का नाश हो गया है। सूत के भावों में हुई वृद्धि के साथ साथ मजदूरों के वेतन में वृद्धि नहीं हुई है। नतीजा यह होता है कि पूंजीपतियों के पेट का गुब्बारा फूलता जा रहा है। उसे छेदना आवश्यक है। मेरे माननीय मित्र श्री घमन्डी लाल बंसल तथा श्री तुलसीदास किलाचन्द जिस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं उसको छोड़ कर अन्य किसी श्रेणी के लोग इस विधयक का स्वागत नहीं करेंगे।

माननीय मन्त्री ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे इस मामले में कुछ नहीं जानते हैं। ऐसी अवस्था में यह अत्यन्त भयप्रद बात है कि वे सदन के सामने एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके प्रत्येक खंड के पीछे विश्वासघात छिपा हुआ है।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : श्रीमान्, यदि यह संसद वायदे के व्यापार का नियन्त्रण करने वाला कोई विधान बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं करेगी तो वह उसकी कर्त्तव्यच्युत होगी। विद्यमान संविधान के सप्तम अनुसूची के संख्या ४८ द्वारा श्रेष्ठिचत्वर तथा वायदे बाजार का नियंत्रण करने का अधिकार संसद को दिया गया है। इसका मतलब यह है कि राज्य विधान सभाओं को इन विषयों के बारे में कुछ व्यवहार करने का अधिकार नहीं रहा है।

मैं नहीं मानता कि इस विधेयक का बुनियादी सिद्धान्त निन्दार्ह अथवा आपत्तिजनक है। मैं मानता हूं कि इस विषय के बारे में प्रायः सब लोग एक राय है कि वायदे के सौदों का नियंत्रण होना चाहिए।

वस्तुओं को उत्पादकों से निर्यातकों तक अथवा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए वायदों के व्यापार की प्रणाली परमावश्यक है। वह केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि अधिकतर हितकर भी है। उससे भावों के चढ़उतारों को मर्यादित किया जाता है जिसके फलस्वरूप कारखानदारों तथा ग्राहकों को सुविधा होती है।

फिर भी इस व्यापार पर नियंत्रण होना आवश्यक है। क्योंकि इस देश में यह अनुभव किया गया है कि यदि इस पर नियन्त्रण न हो तो लोगों की प्रवृत्ति मूल्यांतर को सट्टा खेलने की हो जाती है। लोग पैसा कमाने का सुलभ तरीका खोजते रहते हैं। वे किसी चीज की वास्तविक खरीद या बिक्री नहीं चाहते हैं लेकिन मूल्यांतर पर पैसा कमाना चाहते हैं। इसमें बहुत भारी धोखा है। जब सीमित पूंजी वाले लोग इस व्यापार में पड़ते हैं तब कई बार उन्हें पछताना पड़ता है। जब ऐसे दिवालियों की संख्या बढ़ने लगती है तब बाजार पर बहुत बुरा असर पड़ता है।

इसको रोकने का एक मार्ग तो यह है कि वायदे के सौदों पर पूरी पाबन्दी लगा दी जाए। गत युद्ध के दौरान में भारत सरकार ने भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन आदेश निकाल कर सोना, चांदी, रूई, कपड़ा, सूत, कपास, अनाज तथा तिलहन के व्यापार में वायदे के सौदों पर पाबन्दी लगा दी थी। अंश तथा प्रतिभूतियों के विनिमय पर भी नियन्त्रण जारी किया गया था। अन्ततोगत्वा, उन्हों ने

महसूस किया कि वायदे के व्यापार पर पूरी पाबन्दी लगना असंभव है। इसलिए उन्हें कुछ सौदों को वर्जित करना पड़ा। विशिष्ट प्रदान के अहस्तांतरणीय सौदों को नियन्त्रण आदेशों से वर्जित कर दिया गया। किन्तु ये सौदे केवल नाम मात्र अहस्तांतरणीय रहे। वास्तव में वे भी सट्टे के साधन बन गए। वस्तुओं के प्रत्यक्ष विनिमय के बिना केवल मूल्यांतर का नकद भुगतान होने लगा।

इन अहस्तांतरणीय सौदों को भी नियंत्रित करने के हेतु पहली प्रवर समिति ने खंड १८ को पुरःस्थापित किया। अब माननीय मन्त्री क्यों उसको हटाना चाहते हैं? अब यह विपर्यय क्यों? समिति ने बड़े गौर के साथ जो निर्णय किया उसको क्यों मिटाया जा रहा है? व्यापारियों से आप कहते हैं: "इस अधिनियम के द्वारा हम विशिष्ट प्रदान के अहस्तांतरणीय सौदों का नियन्त्रण नहीं करेंगे; हम केवल हस्तांतरणीय सौदों का ही नियन्त्रण करने जा रहे हैं।" लेकिन वे अच्छी तरह से जानते हैं कि इस रुकावट को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। 'अहस्तांतरणीय' का रबरी ठप्पा लगा देने से तथा तारीख बदलने से वह अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान का सौदा बन जाता है। वास्तव में, इंगलिस्तान के साधारण विधि तथा भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार, कोई भी सौदा हस्तांतरणीय नहीं होता है। जिस सौदे के आधीन किसी पर कोई दायित्व अथवा जिम्मेवारी आ पड़ती है वह सौदा हस्तांतरणीय नहीं होता है। जिस सौदे में केवल कीमत चुकाने के सिवाय अन्य कोई जिम्मेवारी नहीं होती है वही सौदा हस्तांतरणीय होता है।

उपाध्यक्ष महोदय: सदन जानना चाहेगा, कि वाहयतः अहस्तांतरणीय दिखने वाले सौदों का दुरुपयोग कैसे हो सकता है? क्या माननीय सदस्य सदन के सामने इस विषय पर पूरा प्रकाश डाल सकते हैं?

श्री एन० सी० चटर्जी: बम्बई वायदे के सौदे नियंत्रण अधिनियम, १९४७ में सौदों के केवल दो प्रकार बनाए गए हैं भविष्य में माल का प्रदान करने के सौदे तथा तुरन्त प्रदान करने के सौदे। इसलिए सब प्रकार के वायदे के सौदों का नियंत्रण इस अधिनियम द्वारा होता है सरकार को इस अधिनियम के क्षत्राधिकार से किसी क्षेणी के सौदो को वर्जित करने का अधिकार है। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि बम्बई सरकार ने इस अधिकार का कभी भी उपयोग किया नहीं। फिर भी उनका अनुभव क्या है? बम्बई अधिनियम रुई, सोना, चांदी तथा तिलहन पर लागू है। मुझे विदित हुआ है कि अभी अभी केन्द्रीय सरकार ने बम्बई सरकार को सूत पर भी यह नियंत्रण लागू करने के लिए कहा है। इतना होत हुए भी किसी असली व्यापारी अथवा कारखानादार की ओर से बम्बई सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई है। अतः हमें किसी सौद को वर्जित करने की क्या आवश्यकता है?

सन् १९५० में श्री महताब ने जो विधेयक प्रस्तुत किया था, उसमें इन अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान के सौदों को वर्जित किया था। तब श्री कृष्णमाचारी ने निजी सदस्य की हैसियत से उस विधेयक की तीव्र आलोचना की थी। उस समय उन्होंने निहित स्वार्थों का भी उल्लेख किया था। इस विषय में विशारद समिति की भी सलाह ली गई थी। उसके बाद जो प्रवर समिति नियुक्त हुई उसने इस मामले की खूब सूक्ष्म छानबीन की और अन्त में खंड १८ में कुछ परिवर्तन किए, अब विद्यमान प्रवर समिति ने कोई साक्ष्य लिए बिना,

[श्री एन० सी० चटर्जी]

परानी समिति के सामुहिक विवेक को अस्वीकृत किया है। मैं नही कहता कि उन्हें वैसा अधिकार नहीं है। किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस अधिकार का उचित उपयोग नहीं किया गया है। अब यह जिम्मेवारी माननीय मंत्री की है कि हमें समझायें कि पुराना निर्णय क्यों बदला जा रहा है तथा पुराने खंड १८ को क्यों हटाया जा रहा है जिसको कि स्वयं उन्होंने ही इस सदन में पुरःस्थापित किया था। अतः मैं दुहराना चाहता हूं कि बम्बई राज्य का अनुभव हमारें दष्टिकोण का समर्थन करता है।

अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों का दुरुपयोग किया गया है। अनुभवी लोगों का भी यही मत है ये सौदे वास्तव में वस्तु देकर पूरे नहीं किये जाते। इनका केवल हिसाब कर लिया जाता है। एक संथा की समिति ने आदेश दिया था कि मूगंफली के ऐसे सौदों का हिसाब १२ अगस्त १९४७ तक पूरा कर लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: बम्बई के १९४८ के अधिनियम के होते हुए भी उन्होनें ऐसा कैसे किया ?

श्री एन० सी० चटर्जी: जब बहुत से व्यापारियों को ऐसे सौदे पूरें करने पड़ते हैं तो वे आपस में बैठ कर इनका हिसाब कर लेते हैं तथा संस्थाएं इनको इस काम में सहायता देती हैं। बम्बई सरकार ने एक अधिसूचना भी निकाली थी परन्तु संथाओं ने उसकी कुछ परवाह नहीं की। जनवरी सन १९५० में व्यापारियों को आदेश दिया गया कि वे अपने सौदों का हिसाब कर लें। इसके अनुसार उन्हें वस्तुएं नहीं देनी पड़ती केवल मूल्यांतर चुकाना पड़ता है। मैं एक ऐसा उदाहरण दे सकता हूं जिसमें सौदे की शर्तें ३१ मार्च १९५१ को पूरी होनी थी परन्तु व्यापारियों ने यह संकल्प पारित किया कि ऐसे सोदों का हिसाब मूल्यांतर देकर जनवरी १९५१ में ही पूरा किया जाए

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर): क्या ये संथाए मान्यता प्राप्त थी? तथा क्या इन संथाओं ने अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों के साथ साथ साधारण भविष्य पणन के हिसाब चुकाने के आदेश भी दिए थे ?

श्री एन० सी० चटर्जी: यह न समझिए कि हिसाब चुकाने की बात केवल तिलहन के बारें में ही हुई। तेल के बारे में भी यही बात हुई: अगस्त १९४९ में एक संथा ने अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर १९४९ में जो सौदे पूरे करने थे उनके हिसाब अगस्त १९४९ में चुकाने की दरें भी निश्चित कर दी। बम्बई में इन दरों को 'कट रेटस्' कहते हैं। कुछ दिनों के लिए बाजार बन्द रखा गया और अविहित रूप से ये दरें निश्चित कर दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या इन संथाओं का प्रधान उद्देश्य अहस्तांरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों की व्यवस्था करना है ?

श्री एन० सी० चटर्जी: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: उनके मान्यता-प्राप्त होते हुए भी ?

श्री एन० सी० चटर्जी: इस प्रकार इन संथाओं ने अपने उद्देश्य को ही मिट्टी में मिला दिया.....

उपाध्यक्ष महोदय: इस विधान का परिणाम क्या होगा ? क्या इन संथाओं का नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ?

श्री एन० सी० चटर्जी : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का यह कथन है न कि विनियमन के बावजूद दुरुपयोग होता ही है ?

श्री एन० सी० चटर्जी : हां । मैंने यही बताया कि यद्यपि अधिकृत रूप में वे अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे थे फिर भी वास्तव में उन्हें हस्तांतरणीय बना दिया गया ।

श्री सिंहासन सिंह : (गोरखपुर जिला—दक्षिण) : औचित्य प्रश्न है, श्रीमान् माननीय सदस्य ने बम्बई के माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब नहीं दिए हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं यही दिग्दर्शित करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कोई संथा समिति अथवा विनिमय केन्द्र बड़े पैमाने पर काम कर रहा हो और जब उसके अनेक सदस्य इस काम में लगे हों तो अहस्तांतरणीय सौदों को हस्तांतरणीय बना देना अति सुलभ हो जाता है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : क्या मैं माननीय सदस्य से पूछू कि खंड १८ के उप-खंड (१) को जो परन्तुक जोड़ा गया है उससे इन मान्यता अप्राप्त सभाओं का नियंत्रण करने का कुछ अवसर मिलेगा ?

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं नहीं जानता कि उससे कोई संरक्षण मिलेगा या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसके द्वारा अहस्तांतरणीय वायदे के सौदों के लिए संथा बनाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

श्री एन० सी० चटर्जी : उस परन्तुक में क्या कहा गया है ? क्या उससे परिस्थिति का सामना किया जाता है ? उसमें तो केवल इतना ही कहा गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसी संथा का सदस्य नहीं होना चाहिए जो अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों को हस्तांतरणीय बना देने की व्यवस्था करती हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछू कि अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों की संस्थाओं को मान्यता देने का क्या उद्देश्य है जब कि उन्हें अध्याय ३ अथवा अध्याय ४ के अनुसार विनियमित नहीं किया जाएगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में स्थिति यह है कि संथा किसी प्रकार के सौदों से व्यवहार कर सकती है । उसका कार्यक्षेत्र केवल हस्तांतरणीय सौदों तक अथवा जिन सौदों में मूल्यांतर तथा सट्टे को अवसर है उन सौदों तक ही सीमित नहीं हैं । यह तो है ही । किन्तु यहां इस परन्तुक में कहा गया है कि इस प्रकार के सौदों का प्रबन्ध संथा द्वारा ही किया जाएगा जो कि मान्यता-प्राप्त होगी, खंड १५ के अधीन होगी, जिसके उप-विधि सरकार द्वारा जांचे जायेगे तथा जिस पर कुछ न कुछ नियंत्रण होगा । केवल इतना ही हमारा इरादा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई संथा केवल अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों से ही व्यवहार करती है, तो खंड १८ के उप-खंड १ के अनुसार अध्याय ३ तथा ४ उन पर लागू नहीं होने के कारण उस संथा का नियन्त्रण कैसे हो पायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मुझे खेद है कि इससे यह अनुमान निकलता है । किन्तु ऐसा नहीं होगा क्योंकि किसी संथा को इस विशिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ही मान्यता मिलेगी ।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

और फिर तो सरकार द्वारा पूरा नियंत्रण होगा। कोई संथा यदि हस्तांतरणीय सौदों तथा मूल्यांतर के सट्टों के साथ साथ अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों से भी व्यवहार करती है, तो उसकी हिसाब किताबों में उनके नाम होंगे। इसके आधार पर जांच की जा सकती है और कुछ हद तक दुर्व्यवहार को रोका जा सकता है। खंड १८ (१) को पुराने रूप में ज्यों का त्यों रखा जाता तब भी क्या होता? मान्यता-प्राप्त संथा को सब प्रकारों के सौदों से व्यवहार करने का अवसर दिया जाता है। उसके अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों से व्यवहार करने के स्वातंत्र्य पर कोई रोक नहीं होती है। परन्तु ऐसा व्यवहार होते ही वह सौदा अहस्तांतरणीय नहीं रहता। वह रद्द हो जाता है। यही असली बात है।

श्री एन० सी० चटर्जी: श्रीमान्, मुझे उम्मीद है कि सरकार अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों के पर्दे में सट्टे को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती।

मंत्री कहते हैं "अभी नियंत्रण क्यों करें? मुझे नियन्त्रण का अधिकार तो है ही। अभी छुटकारा दीजिये। बाद में मैं नियंत्रण कर सकता हूं।" लेकिन अब तक का अनुभव क्या रहा है? क्या हम इस अनुभव से कोई लाभ नहीं उठायेंगे? क्या हम दुर्व्यहारों की पुनरावृत्ति होने की प्रतीक्षा करेंगे? मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस बात पर गौर करें और पहला प्रवर समिति के प्रतिवेदन को पुनः स्थापित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या मैं माननीय मंत्री से पूछू कि क्या नई प्रवर-समिति के सामने कोई विशेष सामग्री, किन्ही संथाओं अथवा व्यक्तियों के अभिप्राय अथवा दूसरा कोई साहित्य उपलब्ध था जिसके आधार पर यह परिवर्तन किया गया है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं समझता हूं कि प्रवर समिति अपने को जानकार मानती होगी। प्रवर समिति यह परिवर्तन चाहती थी। केवल एक माननीय सदस्य इसके विरुद्ध थे और जिस अन्य सज्जन ने उक्त सदस्य की विमति टिप्पणी पर हस्ताक्षर किया है वह तो प्रवर समिति की बैठकों में उपस्थित भी नहीं थे। मैंने तो पहले ही बता दिया है कि इस विषय में मेरे मन में कुछ सन्देह सा था। पहली प्रवर समिति ने साक्ष्य लेने के बाद जो निर्णय किया था उसको बदलने में मैं अपने को अनर्ह मानता था। और हम कुछ लोग सोचने के लिए बैठे—वहां मेरे साथी माननीय वित्त मंत्री, मेरे मंत्रालय के साथी श्री करमरकर, स्वयं मैं तथा बम्बई के हमारे विशेषज्ञ परामर्शदाता थे—और हमारे साथ मसौदा लेखक भी थे। हमने खूब गौर किया कि क्या इस उपबन्ध को निषेधात्मक की जगह प्रभावात्मक भाषा में नहीं रखा जा सकता। उस रूप में भी वह उपबन्ध प्रशासन की दृष्टि से कठिन सा था। वहां "करेगी" इस शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके अनुसार सरकार पर यह जिम्मेवारी आती थी कि वह उन सौदों के नाम जाहिर करे जिन्हें छुटकारा दिया गया हो। मेरी राय में सरकार यह जिम्मेवारी स्वीकार नहीं कर सकती थी। इस लिए हमने सोचा कि उपखंड १ को जोड़ा गया परन्तुक तथा अधिकार-प्रदान करने वाला उपखंड ३ से पर्याप्त रूप में काम चल जाएगा। यदि इस विषय में बम्बई वालों का विशेष आग्रह हो, जैसा कि वह प्रगट होता है—

बम्बई की सरकार वह चाहती है और हो सकता है कि उन्होंने सब हितसम्बन्धियों के अभिप्राय मंगवाए हो -- मैं घोषणा करता हूं कि जब यह विधेयक बम्बई में अमल में लाया जाएगा तब खंड १८ के उप-खंड (३) के अधीन एक अधिसूचना निकालने के लिए मैं तैयार हूं।

श्री हेडा (निज़ामाबाद): मेरी राय में पुराने खंड १८ तथा नए खंड १८ के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। पुराने खंड के अनुसार सरकार किसी समय कुछ भी कर सकती थी किन्तु नए खंड के अनुसार सरकार को अधिसूचना निकालने के पश्चात सारे अधिकार प्राप्त होते हैं।

मैं सदन को खुल्लम खुल्ला बता देना चाहता हूं कि अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदा कहलाने वाला कोई भी सौदा ऐसा नहीं है जिसे चतुर व्यापारी हस्तांतरणीय सौदे का रूप न दे सकें।

इस के पश्चात मध्यान्ह भोजन के लिए सदन की बैठक ढाई बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष-महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री हेडा: श्रीमान्, मैं हस्तांतरणीय तथा अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों की चर्चा कर रहा था। पहले हमें इसका ख्याल रखना चाहिये कि ये दोनों ही वायदे के सौदों के प्रकार हैं। इसमें से एक भी तुरन्त प्रदान का सौदा नहीं है। इन दोनों करारों में यह शर्त रहती है कि कुछ समय के बाद विशिष्ट वस्तुओं का प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार के क्रय तथा विक्रय निरंतर चालू रहते हैं। और बाहयतः साधारण देखने वाले इन सौदों को हस्तांतरणीय वायदों का स्वरूप प्राप्त हो जाता है।

हमें डर इस बात का लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वायदों के व्यापार पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं चाहते। लेकिन वे अपनी इच्छा प्रगट नहीं कर सकते। इस लिए वे कहते हैं कि खंड १८ को हटाना नहीं चाहिए। मैं जानना चाहता हूं यदि ऐसा कोई अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदा है जिसको हस्तांतरणीय नहीं बनाया जा सकता। मैंने प्रवर समिति में साक्ष्य की समय श्री देवजी रत्तनसी को प्रश्न पूछा था। लेकिन उन्होंने केवल इतना ही कहा कि यदि सौदा हस्तांतरणीय हो तो रेलवे रसीद भी हस्तांतरित हो सकती है और यदि सौदा अहस्तांतरणीय हो तो रेलवे रसीद हस्तांतरित नहीं की जा सकती। लेकिन यदि मेरे नाम से कोई रेलवे रसीद हो तो मैं माल छुड़वाने के लिए किसी मुनीम अथवा नौकर को अधिकार दे सकता हूं। यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति "कृपया श्री — को मेरे नाम पर आया हुआ माल दीजिये" लिख कर श्री के सामने कुछ जगह कोरी रख देता है और नीचे हस्ताक्षर कर देता है तो व्यवहार में उसको हस्तांतरित किया जा सकता है और किया जाना भी है।

मुझ इस बात में कोई सन्देह नहीं कि हस्तांतरणीय तथा अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों में सैद्धान्तिक अन्तर कितना भी हो; वास्तव में प्रत्येक अहस्तांतरणीय सौदे को हस्तांतरणीय बनाया जा सकता है। श्रीमान्, मैं तो आगे जा कर यह भी कहूंगा कि तुरन्त प्रदान के सौदों को भी कभी कभी हस्तांतरणीय वायदे के सौदों का रूप दिया जाता है।

[श्री हेडा]

तुरन्त प्रदान के लिए भी ११ दिनों की सूचना आवश्यक होती है। यदि वे आपस में तय कर लें तो सौदे के पत्र पर कोई भी तारीख लिखे बिना वे काम चला सकते हैं। सौदे की पूरी शर्तें तो लिख ली जाएगी किन्तु प्रदान की तारीख की जगह खाली रहेगी।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या इस प्रकार का सौदा कानूनी होगा?

श्री हेडा : मैं मेरे माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामले न्यायालय में नहीं पहुंचते। एक बात अवश्य है। सट्टेबाज लोग आपस में बहुत प्रामाणिक होते हैं। वे कभी न्यायालय तक नहीं जाएंगे।

प्रवर समिति में साक्ष्य के समय इसका एक बड़ा उद्बोधक उदाहरण प्रगट हुआ। श्री स्पेन्सर नाम के एक सज्जन साक्ष्य में आए थे। एक मामले में जब वे स्वयं असली खरीदार थे और माल लेना चाहते थे तब उनके विक्रेता माल का प्रदान करने में असमर्थ रहे। इस अवस्था में उक्त सज्जन ने न्यायालय में न जाते हुए उस संथा का निर्णय स्वीकार किया जिसके वे भी सदस्य थे तथा जिसने घटी दरों से हिसाब चुकाने का फैसला किया। यह पूछे जाने पर कि इस मामले में वे न्यायालय में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने बताया कि न्यायालय में तो २/३ वर्ष बरबाद हो जाते। समझौते के फलस्वरूप मुझे पूरा न्याय न भी मिला हो परन्तु कुछ न कुछ न्याय अवश्य मिला है और वह भी तुरन्त।

मेरे अनुभव के आधार पर मैं इस व्यापार का चित्र खींच सकता हूं। बहुत से लोग खरीदते रहते हैं और बहुत से लोग बेचते रहते हैं। उन्हें खूब नफा होता है अथवा भारी हानि उठानी पड़ती है। जब हानि उनकी शक्ति के परे होती है तब वह संथा हस्तक्षेप करती है जिसके वे सदस्य होते हैं। इस संथा की प्रशासन समिति घटी दरें निर्धारित कर देती है जिनके अनुसार हिसाब चुकाया जाता है। परिणाम यह होता है कि जिन लोगों के हाथों में इन संथाओं के सूत्र होते हैं उनके हितों पर दृष्टि रख कर सारे फैसले किए जाते हैं। नतीजा यह होता है कि ज़िलों तथा तहसीलों के नगरों में रहने वाले तथा प्रत्यक्ष माल खरीद कर बड़े बड़े नगरों को भेजने वाले छोटे छोटे व्यापारियों को हमेशा नुकसान पहुंचता है क्योंकि उनकी आवाज़ छोटी होती है। हमारी नीति यह होनी चाहिए कि बड़े नक्र से छोटी मछलियों को बचाया जाए, अप्रामाणिक आदमियों से प्रामाणिक आदमियों को बचाया जाए।

सरकार की कड़ी निगरानी के बावजूद, हम देखते हैं कि साल भर में वस्तुओं की कीमतों में २५ से ६० प्रतिशत का चढ़ाव उतार होता है। किसान को न्यूनतम कीमत मिलती है और कारखानदार को अधिकतम कीमत चुकानी पड़ती है। आजकल कारखानों पर सट्टेबाजों का वर्चस्व प्रस्थापित हुआ है। यदि आप कम्पनियों के व्यवस्थापकों के कारोबारों की ओर देखेंगे तो पता चलेगा कि केवल कारखाना चलाने से उन्हें जितना मुनाफा मिलता है उससे कई गुना अधिक मुनाफा सट्टे से मिलता है। उदाहरण के तौर पर, कपड़ा मिल का व्यवस्थापक अपने नाम पर कुछ कपास खरीदता है। बाद में यदि भाव तेज हो गया तो कपास बेच कर मुनाफा अपने खजाने में जमा कर देता है और यदि भाव गिर गया तो मिल के गुदामों में माल

उस कीमत में भर देता है जिस कीमत में उनसे पहले खरीदा हो। इस प्रकार नफे का स्वामी वह बनता है और नुकसान तो होता ही नहीं। गत युद्ध के मध्य में अनेक सट्टेबाज उद्योगों के प्रति आकर्षित हुए और कारखानदार बन गए। आर्थिक व्यवहारों में 'यथेच्छा कारिता' का सिद्धान्त स्वीकार करने से उद्योग धन्धों में एकाधिकार खड़े हो जाते हैं। सरकार का परम कर्त्तव्य है कि वह इस दुष्प्रवृत्ति को रोक दें।

अब मैं पुराने खंड १८ तथा नये खंड १८ के बीच के असली अन्तर को स्पष्ट करता हूं। पुराने खंड में हमने कहा था कि आम तौर पर सरकार अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों का नियंत्रण करेगी और कुछ विशिष्ट मामलों में यह नियंत्रण ढीला कर दिया जाएगा। नये खंड द्वारा यह कहा गया है कि आम तौर पर सरकार अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों का नियंत्रण नहीं करेगी और कुछ विशिष्ट मामलों में नियंत्रण जारी किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उसमें नियंत्रण यह नियम था और निर्नियंत्रण अपवाद था। इसमें निर्नियंत्रण यह नियम है और नियंत्रण अपवाद है।

श्री हेंडा : इसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि पुराने खंड १८ के अनुसार सरकार निस्सन्देह थी और नए खंड १८ के अनुसार वह कुछ हिचकिचाती सी मालूम पड़ती है। माननीय मंत्री ने कल के अपने भाषण में यही मनोवृति प्रगट की। उन्होंने बताया कि इस विषय में वे खुद अनभिज्ञ हैं। मैं माफी चाहता हूं कि इस निवेदन में मेरा विश्वास नहीं है। और जब वे कहते हैं कि सरकारी राज्ययंत्र इस नियंत्रण के काम को निभाने के लिए अभी अपर्याप्त है, सारे देश के सारे सौदों का नियंत्रण करने का अधिकार वे नहीं लेना चाहते हैं, तब मैं कहूंगा कि यह निवेदन यथार्थ नहीं है। मैं नहीं मानता कि पुराना खंड ज्यों की त्यों रखने से सरकार का अधिकार क्षेत्र विस्तृत बन जाएगा अथवा संथा का कारोबार बढ़ जाएगा।

अब मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि क्या एक राज्य में एक ही संथा होनी चाहिए या अनेक। मुझे मालूम नहीं कि प्रवर समिति में क्या चर्चा हुई। किंतु मुझे भय है कि माननीय वाणिज्य मंत्री चाहेंगे कि प्रत्येक राज्य में केवल एक ही संथा हो।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि मैंने ऐसी कोई बात कही है।

श्री हैडा : तो फिर मुझे खूब खुशी है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंने प्रत्येक क्षेत्र में कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्षेत्र का अर्थ राज्य नहीं होता।

श्री हेडा : यही मैं कह रहा हूं। किन्तु कभी कभी उसका विस्तार पूरे राज्य तक हो सकता है। इसी लिए मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो केवल कानूनी शक्यता है, संभाव्यता नहीं है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दिल्ली के बारे में हो सकता है कि क्षेत्र तथा राज्य की सीमाएं एक ही हो।

श्री हेडा : दिल्ली अथवा कुर्ग के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं चाहें वहां एक संथा हो या एक भी न हो। लेकिन युक्त

[श्री हेडा]

प्रदेश, बम्बई, मद्रास, आदि राज्यों में जितनी अधिक संथाएं बन सकेंगी उतनों को प्रोत्साहन देना चाहिए। उससे छोटी मछलियों का बड़े नक्रों से बचाव होगा।

मैं दुबारा कहता हूं कि एक राज्य में अनेक संथाओं को अवसर मिलना चाहिए और प्रत्येक संथा का कार्यक्षेत्र छोटा तथा घना होना चाहिए। बम्बई की संथा का कार्यक्षेत्र बम्बई नगरपालिका के सीमा तक ही मर्यादित रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : बम्बई में विद्यमान परिस्थिति क्या है ?

श्री हेडा : वहां केवल एक ही संथा है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बम्बई में सोना, चांदी तथा कपास के बारे में उसका कार्यक्षेत्र बम्बई नगर तक सीमित है और तिलहन के बारे में बृहत्तर बम्बई तक। वह पूरे बम्बई राज्य पर लागू नहीं है।

श्री हेडा : अब मैं जुआ अथवा सट्टे वाले क्रय विक्रयाधिकार के बारे में कुछ कहूंगा। वास्तव में, असली व्यापार तथा सट्टे के बीच और सट्टा तथा जुए के बीच का भेद बताना बहुत कठिन है। सट्टे वाले क्रयविक्रयाधिकारों पर पूरी पाबन्दी लगाने का प्रस्ताव मुझे बिल्कुल पसन्द है। परन्तु मुझे अड़चन यह प्रतीत होती है कि पाबन्दी लगाने पर भी वे बन्द नहीं होते। हमें इन्हें कड़ी पाबन्दी लगा कर जड़ से उखाड़ देना चाहिए अथवा उन पर पाबन्दी नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि यदि हम केवल पाबन्दी लगा कर उसको अमल में लाने के लिए कड़ी कार्यवाही न करें तो सट्टे मजे में चालू ही रहेंगे परन्तु सरकार उनसे जो आय-कर वसूल करती है वह मिलना बन्द हो जाएगा। इस लिए मेरी केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना है कि उसे हर कोशिश से इन क्रयविक्रयाधिकार के सट्टों को पूर्णतः बन्द कर देना चाहिए।

जहां तक इन संथाओं के नियमों का सवाल है, मेरी राय में उन्हें इस विषय में स्वायत्तता दे देनी चाहिए। सरकार को उस समय तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कोई संथा दुर्व्यवहार नहीं करती है। तब तक सरकार को केवल सतर्क रहना चाहिए। नियम-उपनियमों का उतना महत्व नहीं है जितना कि भावना का है। इतना कह कर मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : माननीय मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कल कहा था कि वे इस विषय के अधिकारी नहीं है। उनके इस विनयपूर्ण वक्तव्य के आधार पर मेरे माननीय मित्र श्री वी० पी० नायर ने अपना तर्क खड़ा किया और कहा कि इस विधेयक को ठुकरा देना चाहिए। वास्तव में माननीय मंत्री इस विषय में बहुत कुछ जानते हैं। मुझे मालूम है कि श्री वी० पी० नायर जिस पक्ष के समर्थक है उस पक्ष के लोग कैसे विचित्र तर्क लड़ाया करते हैं। आप किसी चीज़ का नियंत्रण करने जाएंगे तो वे कहते हैं कि आप एकाधिकार निर्माण कर रहे हैं। आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो वे कहते हैं कि आप गरीब जनता के लिए कुछ नहीं कर रहें हैं।

हठ के लिए औदार्य की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु यदि पहले माननीय मंत्री का यह अभिप्राय था कि अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों पर इस विधेयक के उपबन्ध लाग होने चाहिए ;

यदि प्रवर समिति का मत सुन कर उनके मत में परिवर्तन हो गया हो और यदि वे अब अपने पहले अभिप्राय के विरुद्ध मत को प्रथम अवसर देना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि इसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहिए न कि आलोचना ।

बम्बई में सट्टा खूब चलता होगा किन्तु बम्बई माने पूर देश तो नहीं है । मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां के छोटे व्यापारियों को तथा किसानों को इसी प्रकार के सौदों में दिलचस्पी है । नए खंड १८ के अनुसार अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों को अनिर्बन्ध रखा गया है । आगे चल कर यदि ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी स्थान में इस प्रकार के सौदों का बहुत सट्टा होता है तो सरकार को अधिकार है कि अधिसूचना निकाल कर उस क्षेत्र में इन सौदों को इस विधेयक के अधीन कर दें ।

हमारे जैसे देश में, जहां व्यापार तथा वाणिज्य बाल्यावस्था में हैं और जब यहां की संथाएं अविकसित हैं तथा जब देहाती जनता इन संथाओं से लाभ नहीं उठा सकती है तब यह विधेयक अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों पर लागू करने से वायदे का सारा व्यापार नष्ट हो जाएगा ।

यदि कोई व्यक्ति किसी मान्यता-प्राप्त संथा का सदस्य बनता है और वह संथा अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों का दुरुपयोग करने में उसकी मदद करती है तो सरकार उस संथा को दी गई मान्यता वापस ले सकती है । इसकी वजह से कोई संथा इस प्रकार का कपट व्यवहार करने का साहस नहीं करेगी ।

एक गौण बात के बारे में मैं माननीय मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । खंड ३ के द्वारा वायदा बाजार आयोग का निर्माण होगा और खंड २५ के द्वारा परामर्श समिति गठित की जायेगी । मेरी राय में इस में कुछ दोहराव सा है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : एक केवल प्रशासकीय व्यवस्था है जिसके बहुधा तीन सदस्य होंगे । दूसरी तरफ एक परामर्श परिषद् होगी जिस के, हमारी भत्ता देने की शक्ति के अनुसार ५० या १०० सदस्य होंगे ।

श्री रघुरामय्या : विधेयक में लिखा गया है कि आयोग 'प्रशासन' के बारे में तथा समिति 'प्रवर्तन' के बारे में परामर्श देगी । माननीय मंत्री द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के बाद भी इनके बीच का भेद मेरी समझ में नहीं आया । इस लिए मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री इस बात पर अधिक प्रकाश डालें । सामान्यतः सारे विधेयक का और विशेषतः नए खंड १८ का मैं बलपूर्वक समर्थन करता हूं ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : इस विधेयक द्वारा सिंह की गुहा में घुस कर उसका मुकाबला करने का साहसपूर्ण प्रयत्न किया गया है । इस विधेयक का उद्देश्य केवल नियंत्रण करना है; पाबन्दी लगाना नहीं है । और, मेरी राय में, इस विधेयक के उपबन्ध इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए पर्याप्त हैं ।

जब हम क्रिकेट की मैच देखते देखते किसी घटना पर दांव लगाते हैं तो उसका कोई दूरगामी परिणाम नहीं होता परन्तु सट्टे का खेल इतना सीधा-साधा नहीं हैं । सारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है । इसी लिए उसका नियंत्रण आवश्यक है ।

किसी सदस्य ने कहा है कि इस विषय में संथाओं को तथा आयोग को बहुत ज्यादे अधिकार सौंपे गये हैं जब कि सरकार

[श्री आल्तेकर]

को अपने हाथ में अधिक अधिकार रखने चाहिए थे। परन्तु अन्ततोगत्वा संपूर्ण सत्ता सरकार के हाथों में है। इन संथाओं के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अवांछनीय कामों को रोकने के लिए तथा साधारणतः इन संथाओं का नियन्त्रण करने के लिए जो प्रशासन कायम किया जायेगा वह चाहे जो कर सकेगा। अतः मेरी राय में, इस विधेयक के उद्देश्य की सिद्धि के लिए आवश्यक उपबन्ध इस में समाविष्ट हैं।

इस विधेयक तथा बम्बई के विधान के बीच दो महत्वपूर्ण भेद हैं। इस विधेयक में संथा का सदस्य बनने के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। मैं एक आंखों देखा उदाहरण बतलाऊंगा। यह किस्सा वायदों का व्यवहार करने वाले हल्दी के व्यापारियों की संथा का है। उस संथा में होटल वाले, सोडा वाटर वाले तथा अन्य लोग भी भर्ती हुए थे। वे लोग यह भी नहीं जानते थे कि हल्दी के फ़ल होते हैं या मूल। देश की अर्थ व्यवस्था पर इन लोगों की सट्टेबाजी का अस्वाभाविक तथा प्रतिकल प्रभाव पड़ता है। अन्ततोगत्वा, इससे सारे देश पर आर्थिक संकट छा जाता है। अतः, मेरी राय म, इस विधेयक के अन्तर्गत संथा के सदस्यत्व की जो अर्हताएं रखी गई हैं वह बहुत बुद्धिमानी का काम है।

[पडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]।

इस विधेयक तथा बम्बई के विधान के बीच दूसरा महत्वपूर्ण भेद यह है कि इस विधेयक द्वारा संथा के सदस्य द्वारा किये जाने वाले व्यापार की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जायेगी। कम पूंजी वाले लोग अपनी शक्ति से सौ गुना अधिक व्यापार कर बैठते हैं और अन्त में दिवाला निकालते हैं। यदि उनकी आर्थिक शक्ति के अनुसार उनकी सीमाएं निर्धारित की जाएं तो दिवालियापन के मामले घट जायेंगे। इसके फलस्वरूप एक ही व्यापारी द्वारा अधिकतर माल खरीदा जाने का संकट भी टल जायेगा। इस प्रकार के हस्तेकरण द्वारा बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारियों को रगड़ता है। दिवालियों की करतूतों से कई बार बैंक भी मुसीबत में फंस जाते हैं। इस सीमा निर्धारण के कारण बैंक भी इन मुसीबतों से बच जायेंगे।

खंड १८ के उप-खंड (१) का ठीक ठीक प्रभाव क्या पड़ेगा ? यदि असली व्यापारी, कारखानदार तथा निर्यातक किसी किसान से अथवा वास्तव में माल बेचने वाले व्यापारी से माल खरीदना चाहें तो उनके रास्ते में कोई रुकावट नही होनी चाहिये। उक्त उप-खंड का यही उद्देश्य है। यदि ऐसा कोई बन्धन रखा गया कि प्रत्येक सौदा किसी संथा के द्वारा ही होना चाहिए, तो इन असली ग्राहक तथा विक्रेताओं को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।

यदि कोई व्यक्ति संथा के बाहर रह कर अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों का सट्टा करता है तो वह दण्डाई बन जाता हैं। संथा के बाहर रह कर इस प्रकार का सट्टा हो ही नहीं सकता। और यदि कोई इस प्रकार के सट्टे की व्यवस्था करने लिये संथा बनान जाता है तो वह भी दण्डाई बन जाता है। इन उपबन्धों के फलस्वरूप अब अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों के क्षेत्र में सट्टेबाजों का प्रवेश कठिन हो गया है।

मैं माननीय वाणिज्य मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने विधेयक का मसौदा इस खूबी से बनाया है कि उद्योग अथवा निर्यात के लिए माल खरीदने वाले असली ग्राहकों के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती है। यह तर्क किया गया है कि अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे भी अध्याय ३ तथा ४ के अधीन कर दिये जाएं अन्यथा उस रियायत का दुरुपयोग किया जाएगा। यह तर्क बहुत ही विचित्र है कि सट्टेबाजों के संभाव्य अपराधों के लिए असली ग्राहकों को दंडित किया जाए।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि यह विधेयक जिस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसी रूप में सारे सदन के समर्थन के योग्य है।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : मेरे माननीय मित्र श्री नायर ने कल एक अनुमान लगाया कि प्रत्येक सटोरिया गुण्डा होता है। किन्तु सट्टा यह एक न्यायोचित व्यापार है यद्यपि कुछ लोग उसे केवल जुए का स्वरूप दे देते हैं। मैंने इस व्यापार का अध्ययन करने की कोशिश की है और यह भी समझने की कोशिश की हैं कि क्या इस व्यापार द्वारा समाज का सचमुच कोई लाभ होता है या नहीं।

संयुक्त राज्य औद्योगिक आयोग ने, जो संयुक्त राज्य की आर्थिक परिस्थिति का व्यापक परिमाप करने के लिए नियुक्त किया गया था, वितरण के क्षेत्र में सट्टे की उपयुक्तता के विषय में निम्न आशय का निष्कर्ष निकाला था :

उद्योगधन्धों में मूल्यांतर की जो जोखिम होती है उसका बोझ सट्टे की वजह से व्यापारियों के सिर पर लादा जाता है। सट्टे की वजह से उद्योगपतियों को तथा अन्य ग्राहकों को साल भर की आवश्यकताओं का भण्डार नहीं रखना पड़ता है। सटोरियों की आपसी स्पर्धा की वजह से उन्हें मिलने वाला मुनाफा न्यूनतम हो जाता है।

संयुक्त राज्य के उच्चतम न्यायालय ने भी सट्टे के सामाजिक लाभ दिग्दर्शित किये हैं। उसके एक निर्णय में कहा गया है कि संकटों का परिहार करने में, मूल्यों में समानता लाने में तथा दुर्भिक्ष के समय का प्रबन्ध करने में सट्टे की उपयुक्तता सर्वश्रुत है।

इसी प्रकार श्री गारफील्ड की अध्यक्षता में जो समिति स्थापित हुई थी उसने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि कपास में जो भविष्य पणन होता है उसकी वजह से मूल्यों में आकस्मिक और तीव्र परिवर्तन नहीं हुआ करते हैं।

प्रोफेसर बाइल ने सूक्ष्म अध्ययन के बाद बतलाया है कि सब देशों के अर्थशास्त्रज्ञों ने एक राय से स्वीकार किया है कि भविष्य पणन से किसानों को अच्छे भाव मिलने में मदद होती हैं।

ऐसा प्रतीत होता हे कि विरोधी पक्ष के मेरे मित्र सरकार द्वारा लाए गए किसी विधेयक की आलोचना करने के सिवाय और कुछ जानते ही नहीं।

डा० लंका सुंदरम : आप तो एक ही कूंची से हर एक के चेहरे पर शल पोत रहे हो।

४ म० प०

श्री बंसल : मैं मानता हूं कि इसके कुछ सन्माननीय अपवाद हैं।

यह सन्देह प्रगट किया गया है कि इस विधेयक के उपबन्धों के कारण एकाधिकारों की स्थापना में मदद मिलेगी। किन्तु संथा

[श्री बंसल]

की सदस्य-संख्या पर तो कोई मर्यादा है नहीं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के अंतर्गत सरकार द्वारा जो नियम एवं विनियम बनाये जाएंगे उनमें सदस्यता पर अनावश्यक निर्बन्धन लागू न किये जाएं।

मैं ने पहले भी सुझाया था कि क्रयविक्रयाधिकार के व्यापार पर पाबन्दी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि छोटे व्यापारी भी उसमें शरीक हो सकते हैं।

इस देश में हजारों व्यापारी हर रोज अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदे करते हैं और उनको उसी रूप में पूर्ण करते हैं। इनका हस्तांतरणीय बनाना अपवाद स्वरूप है। ये अपवाद साधारण भविष्य पणन से भिन्न हैं। उनसे भिन्न व्यवहार करना आवश्यक है। विशारद समिति की भी यही राय थी तथा प्रवर समिति की भी।

माननीय मंत्री ने सदन के सामने आश्वासन दिया है कि यदि किसी राज्य की सरकार उन्हें बता देगी कि उसके क्षेत्र में अपवाद ही साधारण बनते जा रहे हैं, तो तत्काल खंड १८ (३) के अधीन अधिसूचना निकालने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

अतः मैं सदन के उन सब पक्षों से प्रार्थना करता हूं जिन्होंने परस्पर विरोधी मत आग्रहपूर्वक प्रगट किये हैं, कि इस विषय में सरकार द्वारा जो सुवर्ण-मध्य निकाला गया है उसी की हम कुछ उचित समय तक परीक्षा करें।

श्री राघवाचारी (पेनूकोंडा): इस चर्चा में अधिकतर भाषण तात्विक या नैतिक दृष्टिकोण से हुए। मैं सदन के सामने विद्यमान वस्तुस्थिति को रखना चाहता हूं। हमारा देश खेती प्रधान है। दुर्भाग्यवश हमारे देश से अभी बहुत सा कच्चा माल निर्यात किया जाता है। बीज बोए जाने के पहले ही वायदे के सौदे हुआ करते हैं। हमारे किसान दरिद्री होने के कारण व्यापारियों के फ़दों में फ़ंसें हुए रहते हैं। इस वस्तुस्थिति में सट्टों को अनिर्बंध रखने के बजाय उन पर कुछ नियंत्रण लगाना आवश्यक है। इस लिए इस विधेयक के उद्देश्य का स्वागत करना चाहिए।

यदि अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों का समावेश इसमें किया गया तो देश में होने वाले ९० से ९५ प्रतिशत सौदों पर या तो पाबन्दी लग जाएगी अथवा संथाओं के जरिये ही वे किये जा सकेंगे। अतः नए खंड १८ की जगह पुराने खंड १८ को कायम रखने के पक्ष में जो प्रचार हो रहा है उस में साधारण जनता का तो कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ता किन्तु विशिष्ट संथाओं का फायदा नजर आता है।

मेरी राय में माननीय मंत्री को अपने मतपरिवर्तन के लिए क्षमाप्रार्थी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः परिवर्तन अनिवार्य है। जब सदन के कुछ सदस्य प्रवर समिति में बैठ कर किसी विशिष्ट प्रयोग की सिपारिश करते है, तो केवल विसंगति के भय से उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

यह मानी हुई बात है और इसके लिए किसी अधिकारी व्यक्ति के उद्धरण देने की कोई आवश्यकता नहीं कि मूल्यों को स्थिर रखने में वायदे के सौदों की मदद होती है।

हमें सटोरियों की चिन्ता नहीं करनी चाहिए किन्तु गरीब किसानों पर तथा

देश की आर्थिक परिस्थिति पर इन सौदों का क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय में हमें सतर्क रहना चाहिए। मेरी राय में प्रस्तुत खंड १८ द्वारा इस सतर्कता का परिचय दिया गया है।

दूसरी बात यह है कि उक्त खंड १८ के उपखंड ३ द्वारा वस्तुतः यही बताया गया है कि जब कभी सरकार चाहेगी तब वह पुराने खंड १८ को अमल में ला सकेगी।

जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस के अनुसार उस में ऐसे अनेक खंड हैं जो सरकार को वायदे के सौदों का सारी व्यवस्थाओं में, सारे देश में तथा सब वस्तुओं के बारे में नियंत्रण करने के व्यापक अधिकार देते हैं। यदि अधिसूचनाओं के द्वारा सब जगह तथा सब सौदों पर नियंत्रण जारी कर दिये गये तो गरीब किसानों को तथा देश भर की सारी जनता को भारी नुकसान पहुंचेगा। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह बहुत गौर के साथ इन अधिकारों का उपयोग करें।

इस विधेयक के अंतर्गत जो अपराध बताये गये हैं उनको हस्तक्षेप रख कर भी यदि जमानत-आयोग्य नहीं बनाया जाय तो मैं नहीं समझता की पुलिस की ज्यादती का कोई डर रह जाएगा।

मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य सराहनीय है और उसे सारे सदन का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रूखाबाद—उत्तर) : मैं केवल एक वकील के दृष्टि-कोण से इस विधेयक की चर्चा करूंगा। पहिली बात तो मुझे यह दिखती है कि इस विधेयक में वायदे के सौदे तथा सट्टे के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। वायदे के सौदे सदा से विधिवत् माने गये हैं। यदि इस प्रकार के सौदों पर पाबन्दी लगाई गई तो यह विधेयक संविधान से असंगत बन जाएगा क्योंकि संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को व्यापार स्वातंत्र्य दिया गया है। यह स्वातंत्र्य आपात की अवस्था में मर्यादित किया जा सकता है; परन्तु सरकार द्वारा किसी खास आपात की घोषणा नहीं की गई है। अतः, मेरी राय में, यह विधेयक तत्वतः अशुद्ध है, प्रचलन में अनुपयुक्त है तथा इस से अनेक दुष्परिणामों की संभावना है।

अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों को जो इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के बाहर रखा गया है वह उचित ही है। वे असली वायदे के सौदे हैं। यदि उन को बाहर रखा गया तो मेरी समझ में नहीं आता कि फिर सट्टे तथा जुए के सिवाय अन्य किसी चीज का नियंत्रण इस विधेयक द्वारा होने जा रहा है? सट्टे तथा जुए को सौदा नहीं कहते। वह अप्रमाणित करार है। इस प्रकार के सौदों की व्यवस्था करने का काम संथाओं पर सौंपा गया है। वकील के नाते मुझे इन संथाओं का कुछ अनुभव है। इन्हें 'वाणिज्य मण्डल' इस बड़े नाम से पहचाना जाता है। वास्तव में वे केवल जुआरियों के अड्डे होते हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

इन संथाओं का कारोबार केवल सदस्यों के द्वारा होता है। ग्राहक तथा बिक्रेताओं का एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं आता। दलाल का काम संथा करती है। मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक द्वारा जुए तथा सट्टे को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। मैं समझता

[श्री मूलचन्द दुबे]

हूं कि सरकार ऐसी मान्यता नहीं देना चाहती।

वैसे तो सारे सौदे अहस्तांतरणीय हुआ करते हैं। यदि कोई करारबद्ध व्यक्ति किसी सौदे का हस्तांतर करना चाहे तो उसे प्रथम दूसरे करारबद्ध व्यक्ति की संम्मति लेनी चाहिए। यदि ये असली सौदे इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से हटा दिये गए तो विनियमन करने के लिए क्या रहेगा? मैं ने पहले ही कहा है कि इससे केवल सट्टों का विनियमन होगा।

दण्ड के विषय में मेरा निवेदन है कि सट्टे तथा जुए के सौदों पर ही दण्ड आरोपित करना चाहिए ; असली वायदे के सौदों पर नहीं। अतः विधेयक का नाम बदलना चाहिए। लेकिन नाम बदलने से भी क्या लाभ होगा? उसका अर्थ होगा कि आप सट्टों तथा जुओं का विनियमन करने जा रहे हो। सरकार यह नहीं करना चाहती। और उन्हें विनियमित किया भी नहीं जा सकता। क्योंकि वैसा करने से उन्हें प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त होगा तथा कानूनी बना दिया जाएगा। इस लिए माननीय मंत्री को जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस रूप में उसको वापिस लेना चाहिए। आगे चल कर वे एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं जो अधिक व्यापक, अधिक उचित, अधिक शुद्ध और कानून से अधिक सुसंगत हो।

कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस विधेयक में जो अपराध बताये गये हैं वे हस्तक्षेप्य न हों। मैं उनके मत का पूर्ण समर्थन करता हूं। क्योंकि ये अपराध हस्तक्षेप्य कर देने से अनिष्ट कृत्यों की परम्परा शुरू हो जायगी। सरकार द्वारा अथवा तदर्थ प्राधिकारी द्वारा शिकायत किये जाने के बाद किसी व्यक्ति पर दावा दाखिल किया जाना चाहिये।

मैं नहीं समझ सकता कि सरकार उन वस्तुओं की सूची कैसी तैयार करेगी जिन पर अध्याय ३ तथा ४ लागू होंगे। यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि खंड १५ के अनुसार किन अवस्थाओं म विशिष्ट वस्तु पर अध्याय ३ तथा ४ लागू होंगे। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : यह विधेयक बहुत विवादग्रस्त ह। मैंने अन्य पक्ष के एक सदस्य के साथ एक संशोधन प्रस्तुत किया है। अतः मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि साम्यवादी पक्ष की भूमिका यह नहीं है कि किसी प्रकार इस विधेयक का विरोध किया जाय। यह स्पष्ट है कि समाजवादी विचार के होने के कारण हम वायदे के सौदों को पाप मानते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था में हमारी श्रद्धा है और मैं नहीं समझता कि लोगों को जुआ तथा भविष्य पणन की अनुमति क्यों दी जानी चाहिये जब कि इन व्यापारों से कोई संपत्ति उत्पन्न नहीं होती। किन्तु यदि आज पूर्णतया नियोजित समाज का निर्माण नहीं हो सकता, और दुर्भाग्यवश कांग्रेस की सरकार यह काम कर भी नहीं सकती, तो दूसरा विकल्प यही रह जाता है कि इस अरिष्ट के दुष्परिणामों को सीमित या मर्यादित कैसे किया जाय। यद्यपि सैंकड़ों जुआरी गैर कानूनी सट्टे के लिये अहस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों का उपयोग करते हैं, फिर भी हमें किसी गरीब किसान का विशिष्ट समय के बाद विशिष्ट मूल्य में अपनी उपज बेचने का

सौदा करने का अधिकार छीन नहीं लेना चाहिये । यही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हम खण्ड १८ का समर्थन करते हैं ।

त्रिवांकुर-कोचीन के दो पत्तनों में, अर्थात् कोचीन तथा अलेप्पी में, भविष्य पणन के सारे नियंत्रण हटा दिये गये हैं। इसके क्या कारण हैं ? चाय पार्टियों का भी उल्लेख किया गया है । यह बात तो जाहिर है कि कि माननीय श्री कृष्ण-ाचारी पर जो दबाव लाया गया उसमें राज्य परिषद के एक सदस्य का हाथ था जो अपने तेल व्यापार के बारे में कुप्रसिद्ध हैं ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान्, क्या मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को एक प्रश्न पूछ सकता हूं कि क्या नियंत्रण हटाने के बाद नारियल के उत्पादक को पहले से अधिक मूल्य नहीं मिलता है ?

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : अधिक मूल्य मिलने का कोई सवाल नहीं है । क्या किसी की हत्या करने के लिये मेरे माननीय मित्र को अच्छा वेतन मिलने पर वे हत्या करने को राज़ी हो जायेंगे? यह अनीति है । सरकार की कार्यवाही गलत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों का पूरा आदर करते हुए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उन्हें चायपान तथा काफीपान का निर्देश नहीं करना चाहिये । इस प्रकार के सामाजिक समारंभ आवश्यक होते हैं । हम विधान बनाते समय केवल गरीबों के अथवा केवल धनिकों के पक्षपाती नहीं होते हैं । माननीय मंत्री को दो कान हैं । एक गरीब श्रेणी के लिये तथा दूसरा धनिक श्रेणी के लिये ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान्, एक कान बधिर है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि यदि मेरा एक कान बधिर हो गया तो मैं उसे धनिकों की ओर करूंगा ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं माननीय मंत्री के सामने तथ्य बता देना चाहता था ताकि भविष्य में इस प्रकार नियंत्रण हटाने के पहले वे अधिक सतर्क रहेंगे....

उपाध्यक्ष महोदय : अर्थात् नियंत्रण हटाने के पहले वे वहां चाय नहीं पीएंगे ?

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान्, चाय पीने के बहुत समय पहले नियंत्रण हटाए गए थे ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं और भी एक बात का उल्लेख करूंगा कि मैं जितने दिन वहां था उन सब दिनों मैंने केवल त्रिवांकोर-कोचीन राज्य के खर्चे से ही चाय पी; किसी व्यक्ति से नहीं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान्, मैं हमारी काली मिर्च के भविष्य के बारे में चिन्तित हूं । इसी लिए मैं आज भाषण देन के लिए खड़ा हुआ हूं । दुनिया की काली मिर्च की आवश्यकताओं का ५० प्रतिशत तथा अमरीका की आवश्यकताओं का ९१ प्रतिशत हम निर्यात करते हैं। केवल काली मिर्च के निर्यात से जून, १९५१ में समाप्त होने वाले वर्ष में हमने ४२० लक्ष डालर प्राप्त किये हैं । विदेश विनिमय की भाषा में हमने २५॥ करोड़ रुपयों की दुर्लभ मुद्रा प्राप्त की है । यदि हम काली मिर्च तथा अन्य वस्तुएं जुआरियों को सौंप देंगे तो वह देशद्रोह होगा । हम आपस में कटु वचनों का कितना भी आदान-प्रदान करते हों, फिर भी दक्षिण भारत के विषय

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

माननीय मंत्री के सिर पर विशेष जिम्मेवारी है। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र से कोचीन तथा अलेप्पी नहीं हटाए जाने चाहिए और हमारी भूमि की उपज मिट्टी में नहीं मिलाई जानी चाहिए।

मैंने जो संशोधन भेजा है वह प्रस्तुत विधेयक के खंड १८ के उपखंड (२) के बारे में है। इस उपखंड द्वारा सरकार को अधिकार दिया गया है कि कुछ खास अवस्थाओं में वह हस्तांतरणीय विशिष्ट प्रदान सौदों को भी इस विधेयक के उपबन्धों से मुक्ति दे सकती है। मैं अपने संशोधन द्वारा इस उपखंड को हटा देना चाहता हूं। इस उपखंड के फलस्वरूप लोग सदासर्वदा सरकार को सताते जाएंगे और अपने अपने सौदों को मुक्ति देने की प्रार्थना करते जाएंगे।

आयोग के गठन के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। आयोग के एक सदस्य के लिए वायदा बाजार का ज्ञान आवश्यक बताया गया है। मैं समझता हूं कि यह उपबन्ध बहुत भयप्रद है। वायदा बाजार का प्रत्यक्ष ज्ञान उसी को हो सकता है जो स्वयं पक्का जुआरी है और ऐसा आदमी इन समस्याओं के विषय में पूर्णतया निष्पक्ष नहीं रह सकता।

हस्तक्षेप्य अपराधों के बारे में जो उपबन्ध है वह ठीक ही है और समाज-विरोधी व्यक्तियों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। साधारण जनता के प्रतिनिधि के नाते मैं श्री किलाचंद तथा श्री सोभा की विमति टिप्पणी का विरोध करता हूं।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी): सर्वप्रथम मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसका उल्लेख अभी तक किसी ने नहीं किया है। यह कहा गया है कि केवल पहला अध्याय तुरन्त अमल में आएगा। लेकिन पहले अध्याय में तो केवल परिभाषा दी गई है। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि केवल इस अध्याय को अमल में लाने की जल्दी क्या थी।

५ म० प०

आयोग के गठन के बारे में मूल विधेयक में कम से कम एक सरकारी अधिकारी नियुक्त करने का उपबन्ध था। किन्तु प्रवर समिति द्वारा किये गए परिवर्तन के अनुसार सरकारी अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है। यद्यपि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति का मैं प्रायः सदैव विरोध करता हूं, फिर भी इस समय मुझे सरकारी अधिकारी की आवश्यकता प्रतीत होती है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं माननीय सदस्य द्वारा दी गई चेतावनी का स्मरण रखूंगा।

श्री आर० के० चौधरी: यह वांछनीय नहीं है कि आयोग के सारे सदस्य गैर-सरकारी व्यापारी हों। सरकारी अधिकारी से इन मामलों में अधिक निष्पक्ष होने की उम्मीद होती है। हो सकता है कि कभी स्वयं मंत्री व्यापारी होने के कारण वह अपने गुट के व्यापारियों को ही आयोग में भर्ती कर दे। फिर क्या होगा? फिर तो इस क्षेत्र में सरकार की कोई भी हस्ती नहीं रहेगी।

(असमाप्त)

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार, २४ नवम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई।